सोमवार,
१२ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, १२ अप्रैल १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिन्दरी कारखाना

*१७२३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जब प्रारंभिक जांच से यह पता चला था कि सिन्दरी कारखाने से निकलने वाली कोयले की राख कुछ तय्यारी के बाद सीमेन्ट बनाने के लिये २५ प्रति शत तक स्थानापन्न वस्तु के रूप में काम में लाई जा सकती है तो क्या इस के प्रयोग की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए कोई और प्रयोग किये गये हैं ; तथा

(ख) जहां तक ईटों के गुणावगुण का सम्बन्ध है सिन्दरी की राख को साधारण कच्ची सामग्रियों के साथ मिलाने का परिणाम ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दूबे) : (क) अभी तक की

गई जांच से पता चला है कि सिन्दरी राख, कुछ हालतों में, लगभग २० प्रति शत तक सीमेन्ट कंक्रीट में मिलाये जाने वाले हल्के पदार्थ के रूप में, ऐसे भागों के लिये काम में लाई जा सकती है जिन पर भार न रहता हो।

(ख) प्रारंभिक जांच से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे एक ही तरह के नहीं हैं। कभी कभी यह देखा गया है कि कछारी मिट्टी के साथ बहुत थोड़ी मात्रा में राख मिलाये जाने पर पकाई जाने वाली ईटें अधिक मजबूत रही थीं।

श्री बहादुर सिंह : सिन्दरी राख का प्रयोग और कौन से कार्यों में किया जा सकता है ?

श्री आर० जी० दुबे : एक प्रस्ताव यह भी है—और इस की जांच भी की जा रही है कि क्या इसे रेत के स्थान पर चूना तथा कंक्रीट के साथ तथा रेत की थाक लगाने में भी प्रयोग किया जा सकता है।

श्री बहादुर सिंह : सहायक कार्यों के लिये प्रति वर्ष उपलब्ध होने वाली सिन्दरी राख की कुल मात्रा कितनी है ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरा विचार है वर्तमान स्टाक दो लाख टन है।

डा० राम सुभग सिंह : सिन्दरी राख को अन्य कच्ची सामग्रियों के साथ मिलाने

का प्रयोग सिन्दरी में किया गया था या किसी अन्य स्थान में ?

श्री आर० जी० दुबे : यह प्रयोग केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था रुड़की तथा सैनिक इंजीनियरिंग कालेज किरकी में किये गये थे ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : यह तो उपोत्पाद भी नहीं है वरन् बच रहने वाला एक व्यर्थ अवशेष है। इस बात के पता लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि क्या इसका कोई उपयोग किया जा सकता है। हमें आशा है कि इस का कुछ न कुछ उपयोग किया जा सकेगा ।

टीन

*१७२४. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश के किसी भाग में टीन की खोज करने के सम्बन्ध म कोई प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या हुआ ;

(ग) भारत में टीन की वर्तमान आवश्यकता ;

(घ) इस की पूर्ति किस प्रकार होती है ; तथा

(ङ) क्या सरकार ने टीन के सम्बन्ध म कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । हां, बिहार तथा उड़ीसा की चट्टानों में जहां जहां अभ्रक पाई जाती है उसी के साथ केसीटेराइट के भी छितरे हुई रूप में पाये जाने का पता चलता है। परन्तु कहीं भी इस की मात्रा इतनी नहीं पाई गई कि इस का आर्थिक महत्व हो ।

(ग) लगभग ४,००० टन प्रति वर्ष ।

(घ) आयात के द्वारा ।

(ङ) नहीं ।

श्री एस० एन० दास : टीन किन देशों से आयात किया जाता है ?

श्री करमरकर : लगभग सारा ही टीन मलाया से आयात किया जाता है ।

श्री एस० एन० दास : टीन के सम्बन्ध में किये गये किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में क्या भारत से परामर्श लिया गया था, यदि हां, तो स्थिति क्या है ?

श्री करमरकर : टीन का उत्पादन करने वाले तथा टीन का उपभोग करने वाले देशों के मध्य अभी हाल में एक सम्मेलन हुआ था । मूल्यों के सुस्थिरीकरण की दृष्टि से कुछ परिणाम निकाले गये थे । हम विचार कर रहे हैं कि क्या हम भी उस में भाग लें । सम्मेलन में हम ने भाग लिया था । हम विचार कर रहे हैं कि क्या उस समझौते में भी भाग लें ।

श्री एस० एन० दास : इस दस्तावेज़ पर विभिन्न देशों द्वारा कब तक विचार किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में भारत द्वारा कोई निर्णय किये जाने की कब तक आशा की जाती है ?

श्री करमरकर : जहां तक मैं समझता हूं, जून तक । उस के पहले हम भी निर्णय कर लेंगे ।

नारियल जटा उद्योग

*१७२६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि १९५२ में नारियल जटा का निर्यात बहुत अधिक गिर गया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने १९५३ में इस छोटे पैमाने के उद्योग को बचाने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये कौन से उपाय किये ;

(ग) नारियल जटा के विश्व बाज़ार में कौन से देश भारत के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं ; तथा

(घ) क्या भारत में नारियल जटा के प्रमापीकरण, बिक्री तथा गवेषणा के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८]

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से प्रकट होता है कि कुछ देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये गये हैं । उन देशों के नाम क्या हैं ?

श्री करमरकर : बलगेरिया, बर्मा, मिस्र, फ़िनलैण्ड, हंगरी, ईराक, नारवे, स्वीडन, टर्की, रूस, यूगोस्लाविया, रूमानिया, जर्मनी तथा पोलैण्ड ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण बताता है कि केन्द्रीय सरकार ने, तिरुवांकुर-कोचीन राज्य द्वारा आरंभ की गई एक योजना के लिये ५० प्रति शत अंशदान देने की रजामंदी प्रकट की है । क्या उन्हें अभी तक कोई ऋण दिया गया है ?

श्री करमरकर : इस योजना में तिरुवांकुर-कोचीन के साथ बराबर बराबर रुपया लगाने का विचार किया गया है । नारियल जटा सहकारी समितियों के संगठन तथा विकास के लिये तिरुवांकुर-कोचीन राज्य को केन्द्र द्वारा १,७४,६७२ रुपये का अनुदान तथा २ लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों का क्रय कर रही हैं, यदि हां, तो कितने मूल्य के ?

श्री करमरकर : हां, हम भारत की बनी नारियल जटा की वस्तुएं क्रय कर रहे हैं । परन्तु हमारे पास कोई मूल्य सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं । मेरा विचार है १९५२ का क्रय मूल्य ८ १/२ लाख रुपया था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पाद सम्बन्धी टारक्वे सम्मेलन के परिणाम स्वरूप दिये जाने वाली तटकर रियायतों के कारण नारियल जटा के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री करमरकर : यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि हमारा निर्यात कुछ विशिष्ट तटकर रियायतों के कारण हुआ है । इस में कोई संदेह नहीं कि ऐसी रियायतों से हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है ।

घड़ियां बनाना

*१७२७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में घडियां बनाने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ; तथा

(ख) यदि हां तो क्या परिणाम हुए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । दो समवायों ने सरकार को हाथ की तथा दीवार की घड़ियों को आंशिक रूप से बनाने तथा पूर्जे मंगा कर उन को फिट

करने के कार्य आरम्भ करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है। परन्तु उनमें से किसी ने भी अभी तक कोई कार्य आरम्भ नहीं किया है।

पंडित डी० एन० तिवारी : वे इस कार्य को क्या बृहद् औद्योगिक आधार पर करने को थे अथवा कुटीर उद्योग आधार पर ?

श्री करमरकर : कुटीर उद्योग आधार पर नहीं, वरन् साधारण औद्योगिक आधार पर।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उन्होंने घड़ियां बनाने के लिये सरकार से सहायता देने की प्रार्थना की थी ?

श्री करमरकर : नहीं।

श्री एस० एन० दास : यह समवाय भारतीय है या विदेशी ?

श्री करमरकर : मैं नाम बता सकता हूं।

एक का नाम है कौलिन कम्पनी जान पड़ता है यह विदेशी है। दूसरी न्यू फ्रेंण्ड एण्ड कम्पनी है। इस के सम्बन्ध में मैं कुछ कह नहीं सकता कि यह कैसी है।

श्री रघुनाथ सिंह : यह सब फर्म इस वक्त कहां पर हैं ?

श्री करमरकर : एक बम्बई में है तथा दूसरी दिल्ली में है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार का ध्यान उस उद्योगपति के भाषण की ओर दिलाया गया है जिस ने घडियां बनाई थीं और यह कह कर नष्ट कर दी थीं कि सरकार सहायता नहीं कर रही है इस लिये वह काम को आगे नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री करमरकर : नष्ट करने का कारण यह नहीं हो सकता कि हम ने सहायता नहीं की। फिर भी हमें विश्वास है कि कोई भी अच्छा उद्योगपति उनको नष्ट नहीं करेगा।

दामोदर घाटी परियोजना

*१७२८. **श्री बी० के० दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे :

(क) निर्माण के अधिकतम कार्य के समय, दामोदर घाटी परियोजना के अन्तर्गत तिलिया में काम पर लगाये गये प्रशासनिक तथा इंजीनियरिंग कर्मचारियों, दफतर के बाबुओं तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या तथा मज़दूरों की औसत संख्या ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कि अब भी कार्य कर रहे हैं ; तथा

(ग) बांध की देख रेख के लिये स्थायी रूप से रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :

(क) प्रशासनिक तथा इंजीनियरिंग कर्मचारियों, दफ़तर के बाबुओं तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या....१८४

श्रमिकों की औसत संख्या....३२०६

(ख) १२०

(ग) ७२

श्री बी० के० दास : क्या अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये कोई वैकल्पिक कार्य ढूंडा गया है ; यदि हां तो कहां ?

श्री हाथी : दामोदर घाटी निगम के नियमित रूप से काम करने वाले सारे कर्मचारी दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत

अन्य परियोजनाओं में लगा दिये गये हैं ।

श्री बी० के० दास : विद्युत संयन्त्र को चलाने के लिये कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ?

श्री हाथी : तिलैया स्थित जल-विद्युत संयन्त्र को चलाने के लिये कुल बहत्तर कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ।

श्री बी० के० दास: उसे ठीक स्थिति में बनाये रखने का मासिक अथवा वार्षिक व्यय कितना होगा ?

श्री हाथी : इसके लिये मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

टैल्को लिमिटेड को सहायता

*१७२९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जमशेदपुर स्थित टैल्को लि० को अपने इन्जिनियरिंग कारखाने में एक डिज़ेल स्वतः चालित संयन्त्र तथा एक विद्युत-ढ़लाईघर बनाने में सहायता देगी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; तथा

(ग) दोनों नये संयन्त्र संभवतः कब प्रयोग में आने लगेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है—तथा मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार से सहायता के लिये ऐसी कोई प्रार्थना भी नहीं की गई है । यह निश्चय हुआ है कि एक इस्पात ढ़लाईघर स्थापित करने के लिये रेलवे इंजिन परियोजना के विकास खाते से २ करोड़ तक रुपये दिये जायें ।

(ग) अभी यह बता सकना संभव नहीं है कि इस्पात-ढलाईघर में कब से कार्य होना आरंभ हो जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि सम्भवतः सरकार उस समवाय को २ करोड़ रुपए देगी । सरकार वह धन कब देगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सरकार द्वारा दिया जाने वाला रुपया नहीं है । यह एक विकास निधि है जो टैल्को का है । इस की स्थापना टैल्को तथा रेलवे मंत्रालय के बीच हुये एक समझौते के अनुसार हुई थी । एक इस्पात ढ़लाईघर स्थापित करने के लिये उस निधि से २ करोड़ रुपए निकालने का विचार है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह भी कहा गया था कि सरकार यह बताने में असमर्थ है कि ढलाईघर की स्थापना कब होगी । क्या मैं जान सकता हूं कि जबकि समवाय को धन दिया जायेगा तो सरकार यह बताने में क्यों असमर्थ है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान मुझे इसकी स्थापना की ठीक तारीख बताने में असली कठिनाई थी । हम इस के लिये बहुत उत्सुक हैं कि इसकी स्थापना की जाये । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस्पात की बड़ी बड़ी सामान बनाने के ढ़लाईघर के न होने से हमें बड़ी कठिनाई हो रही है तथा निश्चय ही हम यथा-शीघ्र इसे स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे । ढ़लाईघर की स्थापना में वित्त या अन्य कठिनाईयों का प्रश्न बाधक नहीं होगा ।

श्री टी० एन० सिंह : टैल्को तथा चित्तरंजन दोनों ही स्थानों पर इस्पात के ढ़लाईघर की आवश्यकता है । मैं जान सकता हूं कि क्या अब यह अन्तिम

रुप से निश्चय हो गया है कि इस्पात ढलाईघर केवल टैल्को में स्थापित किया जायेगा?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह निश्चय हो गया है कि टैल्को में एक ढलाईघर होना चाहिये। यदि यह महसूस होता है कि वह ढलाईघर चित्तरंजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं हैं तो हमें दूसरा ढलाईघर बनाने पर विचार करना होगा। उस समय तक टैल्को स्थित इस्पात ढलाईघर में, स्थापित होने के उपरान्त तुरन्त ही, चितरंजन स्थित इन्जिन कारखाने का भी काम होगा।

स्थानीय निर्माण कार्यक्रम

*१७३०. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय योजना के स्थानीय निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत हुये निर्माण कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग की आशा के अनुसार प्रगति हुई है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख)। अधिकतर राज्यों में वर्ष के अन्त में कार्य आरम्भ हुआ था। प्रगति प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष में क्या सफलता मिली यह निश्चय करने का अभी समय नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को विदित है कि बहुत सी सार्वजनिक संस्थायें, जिन्हें अनुदान दिये गये थे, कार्य पूर्ण न कर सकीं। क्योंकि अनुमति पत्र उन्हें बहुत विलम्ब से मिला था तथा वैत्तिक वर्ष समाप्त होने से पहले कार्य पूर्ण करने के लिये उनसे कहा जा रहा है?

श्री हाथी : साधारणतया स्थानीय निर्माण कार्यों के लिये अनुमति राज्य सरकारें उस धन में से देती हैं जो केन्द्र उनके लिये नियत करता है। अभी तक हमें कोई प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः मैं इस सम्बंध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री एल० एन० मिश्र : : क्या सार्व— जनिक संस्थाओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई प्रक्रिया है?

श्री हाथी : साधारणतया सम्बंधित राज्य में अग्रिम भुगतान का कार्य किसी भी विशेष मामले के महत्व के आधार पर सम्पर्क पदाधिकारी करता है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को विदित है कि बिहार राज्य में बहुत सी सार्वजनिक संस्थाओं को सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट आदि एकत्रित करने के लिये भी धन का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया था, इसके कारण कार्य में रुकावट आ गई और कोई प्रगति नहीं हुई?

श्री हाथी : मुख्यतः, राज्य इस विषय पर विचार करते हैं और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इसकी जांच करुंगा।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि यदि बहुत सी विकास परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशियां चालू वर्ष में व्यय न की जायें तो क्या वे धनराशियां अगामी वर्ष व्यय की जा सकेंगी?

श्री हाथी : जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं। परन्तु ये स्वीकृत धनराशियां अगामी वर्ष में भी जारी रहेंगी।

श्री बी० के० दास : क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों में, स्थानीय अंशदान के पचास प्रतिशत के बजाय जो

स्थानीय निर्माण कार्यों के लिये देना है, उस व्यय का सम्पूर्ण प्रभार स्थानीय जनता को उठाना पड़ेगा तथा स्थानीय सरकार या स्थानीय संस्थायें कोई अंशदान नहीं दे रही हैं ?

श्री हाथी : स्थिति यह है कि किसी भी कार्य की सम्पूर्ण लागत के ५० प्रति शत के लिये जनता को अंशदान देना है तथा लागत का अवशिष्ट ५० प्रतिशत का राज्य सरकारें उन निधियों में से भुगतान कर रही हैं जो केन्द्र ने उन्हें नियत किये हैं ।

बिहार में विस्थापित व्यक्ति

*१७३१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने अब तक स्थायी रुप से बसाये जा चुके हैं?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पश्चिमी पाकिस्तान लगभग १८,००० विस्थापित व्यक्ति

पूर्वी पाकिस्तान लगभग ४७,००० विस्थापित व्यक्ति

(ख) लगभग ५७,००० विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास सुविधायें दी गई है?

श्री विभुति मिश्र : उनम से खेती के कामों में कितने गावों में बसाये जा चुके हैं?

श्री ए० पी० जैन : खेत के कामों के लिये जो कि मजदूरी में गये हैं उनकी संख्या ५८०० है और जिनको ज़मीन मिली हैं उनकी संख्या ४०४९ है ।

श्री विभूति मिश्र : अबतक कितने आदमियों को काम नहीं मिल सका है ?

श्री ए० पी० जैन : पुर्निया कैम्प में ८०० आदमी हैं । बस उनको काम देना बाकी है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : बिहार म 'कोलोनाइज़ेशन सोंसायटी आफ इण्डिया' नाम के संगठन ने पूर्वी पाकिस्तान के सैंकड़ों विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये भूमि देने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसका क्या हुआ? उन्होंने मैकलस्कीगंज के आस पास भूमि देने का प्रस्ताव दिया था?

श्री ए० पी० जैन : इस प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि बिहार में ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति भूमि पर बसाये गये थे जो अब पश्चिमी बंगाल चले गये ह ?

श्री ए० पी० जैन : मैं कुल आंकड़े बताने में असमर्थ हूं हाल ही में कुछ ११२ परिवार बिहार से बंगाल चले गये हैं । इसके पूर्व, नये आने वालों में से १५,८१२ व्यक्ति बिहार से चले गये हैं । परन्तु हो सकता है कि कुछ और व्यक्ति भी चले गये हों ।

सिंगापुर में कुटीर उद्योग माल प्रदर्शनी

*१७३२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष गणतन्त्र दिवस पर सिंगापुर में भारतीय कुटीर उद्योगों के माल का प्रदर्शन आयोजित किया गया था, तथा

(ख) यदि हां, तो इस उदेश्य के लिये किस प्रकार का माल भेजा गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९]

श्री डी० सी० शर्मा : क्या भारत के बाहर अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रदर्शन आयोजित किये गये थे ?

श्री करमरकर : हां एक दम यह बताना कठिन है, परन्तु मेरा विचार है कि भारत के बाहर अन्य स्थानों पर हुये बहुत से मेलों तथा प्रदर्शनियों के बारे में मैं पहिले ही सूचना दे चुका हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सिंगापुर में भारतीय कुटीर उद्योग का एक स्थायी एम्पोरियम स्थापित करने का विचार है?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे याद है मैं समझता हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं । इस प्रश्न के लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच है कि सिंगापुर में कुटीर उद्योग के माल के बहुत थोड़े प्रकार प्रदर्शित किये गये थे ।

श्री करमरकर : हां । यह अनिवार्य रूप से सीमित रखा गया था क्योंकि प्रदर्शनी केवल चार दिन, २३ से २६ जनवरी १९५४ तक, लगी थी । यह गणतन्त्र दिवस के सम्बन्ध में बहुत छोटे रूप में आयोजित की गई थी । अतः उत्सव के लिए हमें व्यय की सीमित व्यवस्था करनी पड़ी ।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : प्रदशनी में किस प्रकार की चटाइयां भेजी गई थीं तथा वे किन किन राज्यों से भेजी गईं थीं ? क्या उन में त्रावनकोर-कोचीन की एकदम सफेद चटाई भी सम्मिलित थी ?

श्री करमरकर : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : क्या प्रदर्शन की कोई भी वस्तु बेचने के लिए रखी गई थी तथा यदि हां, तो कितनी प्राप्ति हुई ?

श्री करमरकर : कुछ प्रदर्शित-वस्तुयें १०,००५ रु० ५ आने ९ पाई की थीं तथा सूचना मिली है कि लगभग १,६५० की प्रदर्शित-वस्तुयें बेच दी गई हैं ।

उड़ीसा के महा लेखा पाल का कार्यालय

*१७३४. **श्री संगण्णा** : क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के महालेखा पाल, के कार्यालय के लिये इमारत बनवाने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रहने के लिये भुवनेश्वर में व्यवस्था करने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इस योजना की अनुमानित लागत ; तथा

(ग) कहां तक कार्य हो चुका है ?

निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ५४·८ लाख रुपया ।

(ग) विस्तृत नकशे तथा व्यय सम्बन्धी अनुमान तैयार किये जा रहे हैं ।

श्री संगण्णा : क्या उड़ीसा की सरकार भी इस इमारत के बनबाने की लागत की कुछ राशि देगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान, मूझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री संगण्णा : निर्माण कार्य विभाग के द्वारा किया जायगा अथवा किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह कार्य भी सामान्य रीति से ही ठेकेदार के द्वारा कराया जायगा ।

कोयला उपकर

*१७३६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या उत्पादन मंत्री ६ अगस्त १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या १९० के उत्तर का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या कोयला उपकर में वृद्धि करने के प्रश्न का अब अन्तिम निर्णय हो गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो वह निर्णय क्या है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) हां, हजारीबाग तथा मानभूमि जिलों के विषय में निर्णय हो चुका है । पालामऊ, रांची तथा सन्थाल परगना जिलों में वृद्धि की दर अभी विचाराधीन है ।

(ख) हजारीबाग जिले की बढ़ी हुई दर ३ आ० ६ पा० प्रति टन है । मानभूमि जिले की बढ़ी हुई दर २ आ० प्रति टन है । जिसमें जल बोर्ड तथा खानों के स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा लगाया गया विद्यमान कर सम्मिलित नहीं है ?

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : दरों को निश्चित करने में किन बातों पर विचार किया जाता है और जिलों म समानता क्यों नहीं है ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक समानता का प्रश्न है, बिहार सरकार ने पहले से ही समान दरें जारी कर दी हैं । जिन सिद्धांतों पर विचार किया गया हैं वे हैं--स्वच्छता, औषधालय तथा अन्य स्थानीय वस्तुओं को बनाये रखने के दृष्टिकोण से स्थानीय विकास की आवश्यकतायें ।

डा० राम सुभग सिंह : बढ़े हुए कोयले के उपकर का उपयोग किस कार्य में किया जायेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : बढ़े हुए कर का उपयोग सड़कों की देख रेख करने, नई सड़कों, औषधालयों तथा अन्य सम्बन्धित चीजों के निर्माण कार्य में किया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : ये सड़कें कब तक बनेंगी ; क्या इस वर्ष में किसी सड़क अथवा औषधालय के बनने की सम्भावना है ?

श्री आर० जी० दुबे : मुझे विश्वास है कि उन जिलों में कार्यक्रम बनाये जा चुके हैं और उनका प्रदर्शन हो रहा है ।

बायदा बाजार अयोग

*१७३८. **श्री के० पी० सोधिया :** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री वायदा बाज़ार आयोग की वर्तमान रचना बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या आयोग का सभापति समग्र-कालीन वैतनिक पदाधिकारी है ?

(ग) किन किन वस्तुओं के वायदे के सौदे को नियमित बनाया जा चुका है ?

(घ) यह आयोग कब से कार्य कर रहा है और क्या इस ने कोई प्रतिवेदन जारी किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सभापति, एक समग्र-कालीन सदस्य तथा एक अल्प कालीन सदस्य ।

(ख) हां श्रीमान ।

(ग) अभी तक वायदे के सौदे (नियमन) विधेयक, १९५२ के अन्तर्गत किसी वस्तु में भी नहीं किन्तु कपास नियन्त्रण आदेश १९५० के अन्तर्गत, कपास के वायदे के व्यापार को इस समय नियमित किया जा रहा ।

(घ) आयोग २२ सितम्बर, १९५३ से कार्य कर रहा है तथा सम्बंधित व्यापार हितों से अपनी चर्चा के सम्बन्ध में मासिक प्रतिवेदन भेजता रहा है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सदस्यों को कुछ भत्ता भी दिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दो समग्र-कालीन सदस्यों को वेतन दिया जाता है। तीसरा सदस्य सरकार का ही कर्मचारी है और उसको भत्ता केवल दौरे का ही दिया जा सकता है वैसे नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया : वायदे के सोदे में कौन सदस्य शेष है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे विश्वास है कि दोनों ही सदस्य विशेषज्ञ समझे जा सकते हैं। वे दोनों ही बहुत कुछ विख्यात अर्थशास्त्री हैं। सभापति तट कर आयोग के बहुत दिनों तक सदस्य रह चुके हैं । दूसरे सदस्य, श्री नाटू को वस्तुओं के बाजार का काफी अनुभव है। वह कृषि मूल्य उपसमिति के मंत्री रह चुके हैं। जिसने १९४५ म अपना प्रतिवेदन दिया था । वह कुछ समय तक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अर्थ परामर्शदाता भी रहे हैं। उन्होंने कुछ समय तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विधि में भी कार्य किया है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उन को व्यापार का भी कुछ अनुभव है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि वह व्यापार करते रहे हों । इस सम्बन्ध में कुछ ठीक नहीं कह सकता ।

श्री मुनिस्वामी : : इस आयोग को अपने कार्य के लिये किन किन संस्थओं से सम्पर्क रखना होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह आयोग उन संस्थाओं से सम्बन्ध रखेगा जो उन वस्तुओं का लेन देन करते हैं जिन में वायदा बाज़ार आयोग को रुचि रखनी पड़ेगी।

श्री बोगावत : क्या सरकार गुड़ का मूल्य अधिक बढ़ जाने के कारण गुड़ के वायदे के सौदे पर नियन्त्रण लगाना चाहती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि सरकार वास्तविक नियन्त्रण आदेश जारी होने से पूर्व ही वस्तु नियन्त्रण की नीति घोषित कर देती है, तो उस से काफी लोग लाभ उठा लेंगे ।

युद्ध का फालतू सामान

*१७३९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या युद्ध का सारा फालतू सामान बेच दिया गया है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो बची हुई वस्तुयें कौन कौन सी हैं।

निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :(क) तथा (ख)। युद्ध का लगभग ९८ प्रतिशत फालतू सामान बेचा जा चुका है । बची हुई वस्तुओं में अधिकांशत: सिगनल स्टोर की हैं जो सुरक्षा सम्बन्धी हैं और कुछ विविध स्टोरों की वस्तुयें भी हैं।

श्री भागवत झा आजाद : उस बचे हुए सामान का अनुमानित: पुस्त-मूल्य क्या लेगा जो बेचने के लिये अभी पड़ा हुआ है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं केवल पुस्त-मूल्य ही बता सकता हूं जो सामान्यत: वह मूल्य नहीं होता जो उन वस्तुओं का मिलता है । उनका मूल्य मोटे तौर से लगभग १३ करोड़ रुपया होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : उस बचे हुए सामान की विक्रय आय क्या थी जो ३१ दिसम्बर, १९५३ तक बेचा गया है, और वह मूल्य उनके पुस्त-मूल्य की तुलना में कितना था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह एक भिन्न प्रश्न है। यदि पूर्व सूचना दी जाय तो मैं सूचना एकत्रित कर सकता हूँ।

श्री एस० एन० दास : इस समय कितने कर्मचारी रखे गये हैं और पहले के कर्मचारियों की तुलना में यह संख्या कितनी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह संख्या बहुत कम कर दी गई है । मेरे पास सही-सही आंकड़े इस समय नहीं हैं ।

श्री के० के० बसु : विविध वस्तुओं का पुस्त-मूल्य क्या है और क्या यह वस्तुयें हमारे देश के खुले बाजारों में बेची जा सकती हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उन में से कुछ बेची जा सकती हैं । युद्ध का फालतू सामान जो अभी हमारे पास है उसमें से सिगनल का सामान ५० प्रतिशत से भी अधिक है ।

नन्दी कोंडा परियोजना.

१७४१. श्री सी० आर०चौधरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आन्ध्र तथा हैदराबाद की सरकारों का नन्दीकोंडा परियोजना पर संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; तथा

(ख) इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा नवीनतम स्थिति यह है कि आंध्र के उप-मुख्य मंत्री ने, जो पिछले सप्ताह यहीं पर थे, तभी योजना आयोग के उप-सभापति को सम्भवत: शनिवार की सन्ध्या को प्रतिवेदन दे दिया था और अब वह टेक्निकल समिति को भेजा जा रहा है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि परियोजना में रुचि रखने वाले सदस्यों को मिल सकेगी ?

श्री हाथी : टेक्नीकल समिति इसकी परीक्षा करेगी ।

श्री रघुरामय्या : चूंकि यह परियोजना पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली

गई है, तो क्या इसकी परीक्षा में शीघ्रता करने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया जाएगा ?

श्री हाथी : परीक्षा में शीघ्रता करने के लिए सभी प्रयत्न किए जायेंगे ।

आंध्र में सिंचाई परियोजनाएं

*१७४४. **श्री रघुरामय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आंध्र राज्य में तत्काल क्रियान्वित करने के लिये जिन योजनाओं को योजना आयोग ने स्वीकार क्या है, उनका कुल अनुमानित व्यय क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना को कब आरम्भ किया जाएगा और इनके कब समाप्त किये जाने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ८७० लाख रुपए ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध, संख्या १०]

श्री रघुरामय्या : विवरण की मद १८ के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि आधार-शिला रखी जा चुकी है ?

श्री हाथी : इन योजनाओं पर सामान्यतया फरवरी में चर्चा की गई थी और विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए योजना आयोग ने इस की मंजूरी दे दी है । विस्तृत जानकारी राज्य सरकारों से मंगाई जा रही है ।

विस्थापित हरिजनों का पुनर्वास

*१७४५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में अब तक कितने विस्थापित हरिजन बसाए गए हैं, और

(ख) उन में से कितनों को एक कमरे के मकान दिये गए हैं और कितनों को दो कमरों के ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) दिल्ली राज्य में अभी तक पुनर्वासित किये जाने वाले विस्थापित हरिजनों की संख्या का सही अनुमान बताना संभव नहीं है । इसके कारण है : (१) जिस धरातल पर व्यक्ति की आर्थिक दशा उस स्तर पर मानी जाये जिसे हम पुनर्वास के पूर्व की स्थिति कह सकते हैं, परिभाषित करना सरल नहीं है और अभी तक ऐसी कोई परिभाषा नहीं ढूंढी गई है, (२) कतिपय विस्थापित हरिजन स्वयं अपने ही प्रयत्नों से पुनर्वासित हो गये हैं और आर्थिक सांख्यकी के अभाव में उनकी संख्या आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है (३) उन के सम्बधं में भी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में सरकारी सहायता ली है दिल्ली राज्य में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो वैयक्तिक मामलों का पता चलाए ।

(ख) एक कमरा .. ९९१ परिवार
दो कमरे .. ३२ परिवार

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो मकान उनको दिय गये हैं उनमें नल और फ्लश की सुविधा दी गई है ?

श्री जे० के० भोंसले : इनमें नल की सुविधा दी गई है, फ्लश की सुविधा उनमें नहीं है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या यह ठीक है कि जो नल लगे हुए थे वह म्युनिसिपल कमेटी को पेमेंट न करने की वजह से काट दिये गये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे इसके बारे में कुछ खबर नहीं हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो मकान दिये गये हैं यह हायर परचेज़ सिस्टम पर दिये गये हैं या किराये पर दिये गये हैं ।

श्री जे० के० भोंसले : हायर परचेज़ सिस्टम पर दिये गये हैं ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार को मालूम है कि लाजपतनगर के किसी कोने में हरिजनों को अलग बसाया गया है और वहां पर एक हजार हरिजनों के बीच में केवल पांच वाटर टैप हैं और तीन लैट्रिन्स हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं उसके बारें में दरियापत करुंगा ।

हिंन्दी के टाइपरायटर

***१७४६. श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत में हिन्दी टाइपरायटर के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

(ख) वर्तमान में किन देशों में इनका निर्माण किया जाता है ;

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी०कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जहां तक सरकार को मालूम है सार्थों द्वारा विशिष्ट मांग होने पर जर्मनी, इटली, स्वीडेन और अमेरिका में हिन्दी टाइपरायटरों का निर्माण किया जाता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या हमारे देश में इनका निर्माण किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक हिन्दी टाइपरायटरों का सम्बन्ध है ऐसा नहीं हो रहा है । लेकिन इस आशय का एक प्रस्ताव है कि देश में इसका निर्माण किया जाये ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या जर्मनी में निर्मित हो रहे हिन्दी टाइपरायटर का की बोर्ड शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस योजना की पृष्ठभूमि में एक दीर्घ गाथा है। १९४८ में संविधान सभा के अध्यक्ष ने काका कालेलकर के सभापतित्व में की-बोर्ड के प्रमापीकरण हेतु एक समिति नियुक्त की । काका कालेलकर इस दिशा में रुचि लेते रहे हैं। वस्तुत: उन्होंने कुछ समय पूर्व इन मशीनों के निर्माण और सम्भरण के प्रबंध के सिलसिले नें जर्मनी की यात्रा की थी । बाद में मालूम हुआ कि उन्हें जो मूल्य कथन प्राप्त हुए वह भारत में टाइपरायटर का निर्माण करने वाली सार्थों के मूल्यकथन से कहीं अधिक थे । सरकार द्वारा हिन्दी टाइपरायटरों का निर्माण करने वाली सब संस्थाओं को इस निर्णय से सूचित कर दिया गया कि यदि उनके मूल्यकथन संतोष

जनक हुए तो उन्हें आर्डर दिये जायेंगे । उनसे अपनी मशीनें परीक्षण हेतु भेजने की प्रार्थना की गई । जिन सार्थों से मशीने प्राप्त हुई हैं उनके नाम हैं रेमिंगटन रेंड, इण्डिया लेथम एबरक्राम्बी एंण्ड कं० लिमिटेड, हलदा टाइपरायटर्स लिमिटेड, ओलिम्पिया टाइपरायटर कं० लिमिटेड, बोल्कर्ट ब्रदर्स, टाइपरायटर का नाम मुझे मालूम नहीं है—और रोनियो लिमिटेड ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जर्मनी में टाईपरायटर्स के निर्माण के लिए जो आर्डर दिए गये हैं वह समिति के अनुमोदन से दिये गये हैं अथवा काका कालेलकर के अनुमोदन से ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि मैंने यह संकेत किया था कि आर्डर नहीं दिये गये थे । इसके विपरीत, आर्डर उन व्यक्तियों को दिये थे जिनके कार्यालय भारत में हैं और उन्होंने परीक्षण हेतु मशीनें भेजना स्वीकार कर लिया था ।

श्रीमती कमलेन्तुमति शाह : अमरीका द्वारा बताई गई कीमतों और भारतीय सम्भरण कर्ताओं की कीमतों में क्या अन्तर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस जानकारी से अवगत नहीं हूं । यदि सूचना दी जाए तो मैं सम्बन्धित मंत्रालय तक उसे भिजवा दूंगा ।

नाहन में ढलाई का कारखाना

*१७४७. **श्री बोगावत** : (क) क्या उत्पादन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नाहन के ढलाई के कारखाने में केन्द्र विकर्षण शक्ति पम्पों का निर्माण किया गया है ?

(ख) इस प्रकार के विभिन्न पम्पों की क्या कीमत है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) और (ख) . नाहन फाउण्डरी लिमिटेड ने १९५३-५४ में केन्द्र विकर्षण पम्पों का निर्माण-कार्य आरम्भ किया था और अभी तक लगभग २०० पम्पों का निर्माण किया जा चुका है। उनकी सात किस्में हैं । उनकी फुटकर कीमत पम्प के आकार प्रकार के अनुसार ११२ रु० से ३४० रु० तक है ।

श्री बोगावत : बैल से चलाए जाने वाला पम्प प्रति घंटा कितना पानी निकालता है ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में १५,००० गैलन किन्तु इस अनुमान में त्रुटि हो सकती है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : पानी निकालने की शक्ति पम्प के आकार पर निर्भर करती है, एक घेरे में कम से कम १३,००० गेलन से लेकर अधिक से अधिक २६,००० गैलन तक पानी निकाला जा सकता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या बिजली से चलने वाले और बैल से चलाये जाने वाले दोनों प्रकार के पम्प तयार किये जाते हैं और यदि हां, तो इन के मूल्य कितने हैं?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक बैल से चलाये जाने वाले पम्प का सम्बन्ध है, यह भिन्न प्रकार का होता है । राल में उक्त कारखाना एक ऐसा पम्प बनाने का प्रयत्न कर रहा है, जिसे सिंचाई के प्रयोजनों के लिए बिजली और बैल दोनों से चलाया जा सके ।

शत्रु सम्पत्ति का संरक्षक

*१७४८. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शत्रु के व्यापार के नियन्त्रक और शत्र सम्पत्ति संरक्षक का कार्यालय अभी काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जो काम करना शेष है, वह किस प्रकार का है ; और

(ग) शत्रु देशों की कितनी सम्पत्ति अभी भारत के पास है।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह कार्यालय मुख्यत : निम्न-लिखित बातों के सम्बन्ध में कार्य करता है (१) गत महायुद्ध में जिन प्रदेशों के साथ शत्रु के राज्यक्षेत्रों या शत्रु द्वारा अधिकृत राज्यक्षेत्रों जैसा व्यवहार किया जाता था ऐसे देशों और उन के राष्ट्रजनों के विरुद्ध भारतीय दावों को इकठ्ठा करना तथा उन्हें तैयार करना ;

(२) सभी निहित आस्तियों के उचित लेखे का संधारण और इन आ-स्तियों के वापस दिये जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व शत्रु तथा शत्रु द्वारा अधिकृत देशों के राष्ट्रजनों के दावों की सच्चाई की पड़ताल करना; और

(३) ऋण तय करने के करारों के विषय में सामान्यतया सरकार को सलाह देना।

(ग) लगभग ५८० लाख रुपया।

श्री एस० एन० दास : इस समय इस संस्था के कितने कर्मचारी हैं और क्या हाल में इन की संख्या में कुछ कमी की गई है ?

श्री करमरकर : इस कार्यालय में इस समय एक उपसंरक्षक, एक अधीक्षक, ६ वरिष्ट श्रेणी के कलर्क, ७ निम्न श्रेणी के कर्कल एक स्टेनोग्राफ़र, एक दफ्तरी और चार चपरासी हैं।

श्री एस० एन० दास : विदेशों की आस्तियों को अन्तिम रूप से निपटाने और तय करने में क्या बाधाएं हैं ?

श्री करमरकर : समझौता पारस्परिक होता है और इस में समय लगता है किन्तु अब तक फ्रांस, बेल्जियम, चैकोस्लो-वाकिया, ग्रीस डेनमार्क, आस्ट्रिया और थाईलैंड इस प्रकार के समझोते कर चुके हैं और इन में से कुछ देशों के सम्बन्ध में हमारे अधिकांश दावे समाप्त किये जा चुके हैं। कुछ और देशों----इटली, जापान, नीदरलैंड्स, हेंगरी और पोलैंड--के साथ विचार वि-मर्श किया जा रहा है।

श्री राधा रमण : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जापान के साथ संधि दो वर्ष पूर्व हुई थी, जापानी आस्तियां क्यों अभी हस्तांतरित नहीं की जा रही हैं और हमारी आस्तियों का उन से हस्तान्त-रण क्यों नहीं करवाया जा रहा है ?

श्री करमरकर : इस मामले में कुछ कठिनाइयां हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इंडियन नैशनल आर्मी की या इस के उन कर्म-चारियों की जो कि इस के समाप्त हो जाने के बाद पीछे रह गये थे, सम्पत्ति का कोई लेखा इस कार्यालय द्वारा रखा जा रहा है ?

श्री करमरकर : आई० एन० ए० के सम्बन्ध में इस विशेष विषय में मेरे पास कोई ठीक ठीक जानकारी नहीं है ।

विस्थापि क्षय रोगी

*१७४९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने वर्ष १९५४-५५ में विस्थापित क्षय रोगियों के इलाज के लिये कितनी राशि मंजूर की ; तथा

(ख) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के लिये पृथक पृथक विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :

(क) तथा (ख) . चालू वित्तीय वर्ष के लिये निम्न प्रकार से धन का उपबन्ध किया गया है :

(१) पश्चिमी महा खण्ड ७·५० लाख रुपये

(२) पूर्वी महा खण्ड ४·५० लाख रुपये

कुल १२·०० लाख रुपये ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह राशि कैसे बांटी जायेगी क्या यह रोगियों को अनुदान के रूप में दे दी जायेगी या अन्य प्रकार से दे दी जायेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : यह राज्यों को अनुदान के रूप में दी जायेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन रोगियों के लिये सेनेटोरियम स्थापित करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हमने एक या दो स्थानों पर पहिले ही सनेटोरियम स्थापित किये हैं, और हम क्षय रोग के अस्पतालों में स्थान सुरक्षित कर रहे हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : कुल कितने रोगियों के लिये यह व्यवस्था की जा रही है ?

श्री जे० के० भोंसले : ७१४ रोगी शय्याओं की व्यवस्था की गई है—४०१ पश्चिमी खण्ड के लिये और ३१३ पूर्वी खण्ड के लिये ।

डा० रामाराव : बम्बई में उल्हास नगर में, जहां कि क्षय रोग बहुत फैला हुआ बताया जाता है, क्षय के रोगियों के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : वास्तव में यह राज्य सरकार का काम है । हम इन क्षय रोगियों को विभिन्न अस्पतालों में, जहां भी उनमें स्थान हो, इलाज करने के लिये राज्य सरकार को कई लाख रुपये देते हैं ।

दामोदर घाटी परियोजनाओं पर रिपोर्ट

*१७५०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संयुक्त दामोदर घाटी परियोजनाओं के टैक्निकल परामर्शदाता बोर्ड ने हाल ही में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि एसा है, तो इसकी मुख्य उपपत्तियां तथा सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, फरवरी १९५४ में ।

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती हैं । [**पुस्तकालय में रख दी गई, देखिये संख्या एस०—११४/५४**]

श्री एल० एन० मिश्र : दामोदर घाटी निगम या सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

श्री हाथी : सामान्यतया, प्रायः सभी सिपारिशों को स्वीकार किया जा रहा है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या पांचेत पहाड़ी के बिजली घर के स्थान में परिवर्तन के कारण मूल खर्च के प्राक्कलन में वृद्धि होगी, और यदि ऐसा है तो कितने प्रतिशत होगी ?

श्री हाथी : सम्भवत: इससे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या पांचेत पहाड़ी परियोजना के डिज़ाइन में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हाथी : इस रिपोर्ट में तो ऐसा उल्लेख नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस समिति ने मैथन, पांचेत पहाड़ी तथा दुर्गापुर जैसे शेष बांधों के डिज़ाइनों में कोई अत्यधिक परिवर्तन करने के लिये कहा है ?

श्री हाथी : यह बात रिपोर्ट में दी हुई है । महत्वपूर्ण सुझावों या सिपारिशों में किसी बड़े परिवर्तन का उल्लेख नहीं है । ये सिपारिशें स्वयं रिपोर्ट में दी हुई हैं ।

नई दिल्ली में भोजन तथा निवास गृह

*१७५१. **श्री संगण्णा :** क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री नई दिल्ली में भोजन तथा निवास गृहों के सम्बन्ध में २३ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के भाग (घ) के दिये गये उत्तर का निदेश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; तथा

(ख) यदि किया गया है, तो क्या ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) । यह निश्चय किया गया है कि वेस्टर्न कोर्ट तथा कांस्टिटयून्शन हाउस में कमरों के बैरों को वर्दियां दी जायें ।

श्री संगण्णा : इन बैरों को किस प्रकार की वर्दियां दी जायेंगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह बताना तो बहुत कठिन है कि उनको किस प्रकार की वर्दियां दी जायेंगी मैं समझता हूं, कि ये वर्दियां सामान्य प्रकार की होंगी, बहुत तड़क भड़क वाली नहीं होगी अपितु इस मामले में उपयोगिता तथा शिष्टता का ध्यान रखा जायेगा ।

गिरिधि की कोयला खानें

*१७५२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि गिरिर्धि की कोयला खानों के मज़दूरों के कितने वर्ग केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपारिशों के अन्तर्गत अपनी वेतन श्रेणियों की घोषणा किये जाने को अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

(ख) क्या उक्त कोयला खानों के कुशल तथा अर्द्ध कुशल मज़दूरों के वेतन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें हैं ?

(ग) यदि ऐसा है, तो ऐसी अनियमिताओं के कितने मामलों तथा किस वर्ग के मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे): (क) तीन ।

(ख) ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह कहा गया है कि कुछ वर्गों

की निर्धारित की गई वेतन श्रेणियां कम हैं। सम्भवतः माननीय सदस्य ऐसे ही मामलों के बारे में 'अनियमितताओं' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ११]**

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या प्राप्त शिकायतों पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां उन पर विचार किया जा रहा है।

शेल (जम्ब) का उपयोग करना

*१७५३. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोयला खानों में प्रति वर्ष शेल अनुमानित कुल कितनी मात्रा में उत्पादित होता है ?

(ख) अब इसका क्या प्रयोग किया जाता है ?

(ग) क्या इसके अतिरिक्त इसका किसी अन्य कार्य में भी उपयोग किया जा सकता है और यदि ऐसा है तो किस कार्य में ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) भारत की कोयला खानों में से निकाले जाने वाले शेल के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, किन्तु ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका कुल उत्पादन लगभग दस लाख टन हो सकता है।

(ख) केवल ईंट और चूना पकाने के लिये कुछ सीमित मात्रा को छोड़ कर सामान्य रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह बताया जाता है कि सीमेंट बनाने के लिये भी शेल का प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) अभी तक इस बात की जांच नहीं की गई है कि किन किन अन्य कामों में इसका प्रयोग किया जा सकता है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उसके बारे में हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में कोई परीक्षण किये गये थे ?

श्री आर० जी० दुबे : जी नहीं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार इस मामले को प्रयोगशालाओं में भेजना आवश्यक समझती हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : जितनी सूचना सरकार के पास है उसके अनुसार इसमें और अधिक जांच करने से लाभ नहीं है, क्योंकि किसी अन्य देश में इसे किसी और काम के लिये प्रयुक्त नहीं किया जाता है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को मालूम है कि चीन में एक संयंत्र से, जिसे जापान ने चीन पर अपने अधिकार काल में स्थापित किया था, शेल पत्थर बिना साफ किया हुआ तेल निकालने के काम में लाया जाता है ?

श्री आर० जी० दुबे : हमें इसका पता नहीं है।

वाणिज्य संगठन

*१७५५. **श्री एस० एन० दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग संगठनों के नाम क्या हैं जो अखिल

भारतीय स्वरूप के हैं और जो सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों में प्रतिनिधित्व करने के लिये अभिज्ञात हैं; तथा

(ख) इस प्रकार का अभिज्ञान करने के लिये किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध सख्या १२]

सदन की जानकारी के लिए मैं उन संगठनों के नाम बताए देता हूं । वे हैं इंडियन जूट मिल्ज़ एसोसिएशन, कलकत्ता; फेडरेशन ग्राफ इंडियन चेम्बर्स ग्राफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्री (भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ), नई दिल्ली, एसोसियेटिड चेम्बर ग्राफ कामर्स, (संयुक्त वाणिज्य मंडल) कलकत्ता, ग्राल इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन, वर्धा, तथा सर्व सेवा संघ, वर्धा ।

श्री एस० एन० दास : ऐसे संगठनों की संख्या क्या है जो फैडरेशन ग्राफ इंडियन चेम्बर्स ग्राफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री नई दिल्ली, तथा एसोसिएटिड चेम्बर आफ कामर्स कलकत्ता, से सम्बद्ध हैं ?

श्री करमरकर : मेरे पास यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है किन्तु पूर्वसूचना मिलने पर मैं सम्बद्ध संगठनों से पूछताछ कर सकता हूं ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन दोनों एसोसिएशनों के प्रतिनिधित्व के बारे में कोई अनुपात निश्चित कर दिया गया है, और यदि ऐसा है तो वह अनुपात क्या है ?

श्री करमरकर : कोई निश्चित ग्रनुपात तो नहीं है किन्तु इन दोनों संगठनों के प्रधान तथा सचिव तो होते ही हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या एसोसिएटिड चेम्बर आफ कामर्स के साथ सम्बद्ध संगठनों की संख्या कम है और जो हैं वे भी जाति विशेष के हैं ?

श्री करमरकर : हो सकता है, किन्तु यह एक ग्रखिल भारतीय चेम्बर हैं ।

श्री राधा रमण : क्या एसोसिएटिड चेम्बर ग्राफ कामर्स वास्तव में एक यूरोपियन संस्था है जिसमें भारतीयों को समान ग्रवसर प्राप्त नहीं हैं ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि इस संगठन में अत्यधिक ग्रंश यूरोपियन हितों का है ।

श्री जोकीम अल्वा : क्या इन दोनों संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देते समय इन के प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता है ?

श्री करमरकर : हम ऐसे नाम निदेशन के लिए चेम्बरों से परामर्श नहीं लेते ।

अन्तिरिम प्रतिकर योजना

***१७५६. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस पांच सदस्यों की मंत्रणा समिति ने, जो सरकार द्वारा अन्तरिम प्रतिकर योजना सम्बन्धी विषयों पर परामर्श देने के लिये बनाई गई थी, कोई बैठक की है;

(ख) यदि की है तो किन विषयों पर चर्चा की गई है; तथा

(ग) क्या निश्चय किये गए हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख)। जी हां, उक्त समिति की लगभग एक दर्जन बैठकें हो चुकी हैं और उनमें प्रतिकर योजना की कार्यान्विति तथा दावों के सत्यापन सम्बन्धी कई बिषयों पर तथा इस विषय में कि आगे किन श्रेणियों से प्रतिकर के दावे मांगे जाएं चर्चा हुई है।

(ग) यह सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : अब किस श्रेणी के शरणार्थियों से प्रतिकर के लिये आवेदन मांगे जाएंगे ?

श्री ए० पी० जैन : यह विषय विचाराधीन है।

श्री एन० एल० जोशी : इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

श्री ए० पी० जैन : सामान्यतया अन्तरिम प्रतिकर योजना की कार्यान्विति के बारे में मंत्रणा देना।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या उन्होंने इस विषय में कोई निश्चय किया है कि अन्तरिम प्रतिकर योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाय ?

श्री ए० पी० जैन : वे निश्चय नहीं करते, केवल सिपारिश ही करते हैं ?

श्री डी० सी० शर्मा : अन्तरिम प्रतिकर योजना की उचित समय में पूर्ति के बारे में उन्होंने क्या सिपारिशें की हैं ?

श्री ए० पी० जैन : इनकी सिपारिशों को प्रकट करना लोकहित में नहीं है, क्योंकि वे मंत्रालय के लिए हैं तथा सभी निश्चयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व मंत्रालय पर है। वह निश्चय अन्ततः घोषित कर दिए जाएंगे।

साबुन का निर्यात

*१७५७. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या ब्रह्मा तथा फिनलेंड के साथ भारत से साबुन के निर्यात के सम्बन्ध में किये गये समझौते अभी तक लागू हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो १९५० से १९५३ तक के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में साबुन के निर्यात सम्बन्धी पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हमने ब्रह्मा या फ़िनलेंड से ऐसे कोई समझौते नहीं किये हैं।

(ख) इस साल में फ़िनलेंड को कोई साबुन नहीं भेजा गया था। ब्रह्मा को साबुन का निर्यात इस प्रकार से है:—

१९५०	...	६७०	हंडरवेट
१९५१	...	७३२	,,
१९५२	...	६०८८	,,
१९५३	...	२४६०	,,

तथापि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यद्यपि भाग (क) के अन्तर्गत साबुन के निर्यात के सम्बन्ध में कोई करार नहीं थे, इन देशों की निर्यात अनुसूचियों में साबुन का वर्णन दिया गया है।

श्री सगण्णा : क्या भारत में साबुन का अतिरेक रहता है ?

श्री करमरकर : जी हां, मेरा भी यही विचार है।

श्री जोकीम आल्वा : साबुन के निर्यात के मामले में लीवर ब्रादर्स लिमिटेड जैसी एकाधिकार प्राप्त विश्व-संस्थाओं का तथा निश्चित रूप से भारतीय व्यवसायों का भाग कितना है ?

श्री करमरकर : इस समय मैं निर्यात के क्रमशः भाग तो नहीं बता सकता हूं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या हम यहां औषधियुक्त साबुन भी तैयार करते हैं तथा क्या उसका निर्यात भी किया जाता है ?

श्री करमरकर : यह कुछ अनिश्चित सा शब्द है, परन्तु मैं समझता हूं कि इसके एक भाग को औषधियुक्त साबुन के रूप में तैयार किया जाता है जैसा कि कार्बोलिक साबुन ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह: क्या हम दूसरे देशों से अपने प्रयोग के लिए साबुन का आयात करते हैं, तथा यदि ऐसा है, तो हम अपने प्रयोग के लिए साबुन क्यों नहीं बना सकते हैं ?

श्री करमरकर : हम इन वस्तुओं को स्वयं बना रहे हैं ।

श्री मती कमलेन्दुमति शाह : क्या हम दूसरे देशों से साबुन आयात करते हैं ।

श्री करमरकरकर: जी नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रति कर का भुगतान

*१७३३. **बाबू राम नारायण सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरही के निवासियों को उस स्थान के लिये, जो कि तिलिया बांध जलाशय में डूब गया है, कब तथा किस दर पर नकद प्रतिकर दिया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : हरही के निवासियों को वृक्षों, कुंओं, तालाबों, अहारों, खड़ी फसलों आदि के लिए प्रतिकर दिया गया है । जहां तक ज़मीनों तथा मकानों का सम्बन्ध है, उन्होंने ज़मीन के स्थान पर ज़मीन तथा मकान के स्थान पर मकान लेने की लिखित इच्छा प्रकट की थी । दामोदर घाटी निगम ने इस कारण भूमि को कृषि योग्य बनाया और उनके लिए मकान बनवाये । ये ज़मीनें तथा मकान अब उन्हें दिये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के कार्यभारित कर्मचारी

*१७४०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सच है कि बागडोगरा तथा सिलीगुड़ी में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मूलभूत नियम ९ (२५) सी के अन्तर्गत विशेष वेतन दिया जा रहा है ।

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जनवास्तु विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों को यह विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो इसके कारण ?

निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) हां, श्रीमान्, परन्तु केवल अधोषित वरिष्ठ कर्मचारियों को।

(ख) हां श्रीमान ।

(ग) बागडोगरा तथा सिलीगुड़ी में नियुक्त कर्मचारियों को विशेष वेतन इन स्थानों के अस्वास्थ्यकर होने के प्रतिकर रूप के रूप में दिये जाने के लिये मंजूर किया गया था, विशेषतः एसे कर्मचारियों के

लिए जो दूसरे स्थानों से यहां पर स्थानान्तरित किये गये थे परन्तु जो स्वयं को अस्वास्थ्यकर अवस्था के अनुकूल नहीं बना सके थे। कार्य भारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह विचार नहीं आता है क्यों कि वे प्रायः स्थानीय रूप से भर्ती किये जाते हैं। फिर भी मैं स्थिति का पुनर्विलोकन कर रहा हूं।

हैदराबाद में कुटीर उद्योग

*१७४२. **एच० जी० वैष्णव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-१९५३ में हैदराबाद राज्य को कुटीर उद्योगों को सहायता देने के लिए कितनी राशि दी गई थी ; तथा

(ख) इसका कितना भाग ऋण के रूप में दिया गया तथा कितना सहायता के रूप में ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) सन् १९५२-१९५३ में हैदराबाद राज्य को कोई धन राशि नहीं दी गई थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के कार्य भारित कर्मचारी

*१७५४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डम डम हवाई अड्डे पर नियुक्त केन्द्रीय सरकार के उन समस्त कर्मचारियों क जिन्हें सरकारी अधिवास नहीं दिया गया है, मकान किराया भत्ता ग्राह्य है ;

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को इस भत्ते का लाभ १ जनवरी, १९४७ से दिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जन-वास्तु विभाग के डम डम के कार्यभारित कर्मचारियों को यह लाभ १ जुलाई, १९४८ से ही दिया गया है; तथा

(ग) यदि एसा है तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). कार्य भारित कर्मचारियों तथा दूसरे कर्मचारियों को यह भत्ता १-७-४८ से ही दिया जा सकता था, परन्तु कुछ कर्मचारियों को यह भत्ता १-१-१९४७ से दिया गया था। ऐसा आदेशों के गलत समझने के कारण हुआ था।

राजस्थान में नमक की चपातियां

३६७. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में पाई जाने वाली नमक की चपातियां (साल्ट केक्स) का उपयोग सारे देश के स्थान में कहां तक हो रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नमक की चपातियों का उपयोग सोडा ऐश के स्थान पर नहीं हो रहा है। केवल शीशा उद्योग के शीशे की चादर बनाने वाले विभाग में ही इसका ऐसा उपयोग हो रहा है। विदित हुआ है कि यह शीशे की चादर बनाने के लिए एक अत्यावश्यक अंग है तथा इसे केवल सोडा ऐश के प्रतिस्थापन में ही काम में नहीं लाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष २००-२५० टन नमक की चपातियों को इस हेतु काम में लाया जाता है।

सोडा ऐश का आयात

३६८. { **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वी० पी० नायर :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बर्ष के लिए (१) सोडा ऐश, (२) ब्लेन फिक्सी तथा (३) सोडियम सल्फाइड की कितनी त्रात्रा का या कितने मूल्य की मात्रा का आयात आवश्यक समझा गया है ?

(ख) क्या सरकार सदन पटल पर एक विवरण रखेगी जिस में इस काल में उन समस्त आयात कर्ताओं को, जिन्हें अभी तक (१) तदर्थ तथा (२) तदर्थ के अतिरिक्त दूसरी प्रकार के आयात लाइसेंस दिये गये हैं, आवंटित मात्रा का वर्णन हो ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस०—११५/५४]**

(ख) आयात तथा निर्यात नियंत्रण प्राधिकारों द्वारा दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है । यह बुलेटिन आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक महोदय द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा इस का मूल्य ४-८-० रु० प्रति प्रति है । तथापि अपेक्षित सूचना साप्ताहिक बुलेटिनों से ली गई है तथा इसे संलग्न विवरण (ख) में दिया गया है । **[पस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एस०--११५/५४]**

चीन को भारतीय इंजीनियरों का शिश्ट मंडल

३६९. **श्री एस० एन० दास** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चीन में हुआई नदी पर बनाये गये बांध को देखने के लिये भारतीय इंजीनियरों का एक शिष्टमंडल भेजने का विचार है ; और

(ख) यदि हां तो इस शिष्टमण्डल के यहां जाने का क्या प्रयोजन है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) चीनी सरकार द्वारा यलो-हुवाई-योगट्सी नदी घाटी में बाढ़ तथा तिलछट के नियन्त्रण का अध्ययन करने के लिए ।

खंक ३ सोमवार
संख्या ४३ १२ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

—:—

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

लोक लेखा समिति—

सातवें प्रतिवेदन से संबंधित साक्ष्य का उपस्थापन [पृष्ठ भाग ३१९३]

सदन पटल पर रखे गए पत्र —

केन्द्रीय उत्पाद अधिसूचनाएं [पृष्ठ भाग ३१९३—३१९४]

अनुदानों की मांगें —

मांग संख्या ४८—स्वास्थ्य मंत्रालय [पृष्ठ भाग ३१९४—३२३०]
मांग संख्या ४९—चिकित्सा सेवायें [पृष्ठ भाग ३१९४—३२३०]
मांग संख्या ५०—लोक स्वास्थ्य [पृष्ठ भाग ३१९४—३२३०]
मांग संख्या ५१—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग ३१९४—३२३०]
मांग संख्या १२५—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग ३१९४—३२३०]
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय [पृष्ठ भाग ३२३०—३२७०]
मांग संख्या २—उद्योग [पृष्ठ भाग ३२३०—३२७०]
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना एवं आंकड़े [पृष्ठ भाग ३२३०—३२७०]
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग ३२३०—३२७०]
मांग संख्या ११०—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग ३२३०—३२७०]

संसद सचिवालय, नई दिल्ली
(मूल्य ६ आने)

84 PSD

लोक सभा

सोमवार, १२ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

२-४५. म.-प.

लोक लेखा समिति

सातवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित साक्ष्य का उपस्थापन

श्री बी० दास (जाजपुर—क्योंझर) : मैं विनियोग लेखा (असैनिक), १९४९ तथा अपूर्ण लेखा (असैनिक) १९४८–४९ पर लोक लेखा समिति (१९५२–५३) के सातवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित साक्ष्य का द्वितीय अंक पेश करता हूं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पाद अधिसूचनायें

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अनुसार निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं :—

(१) केन्द्रीय उत्पाद अधिसूचना संख्या १, दिनांक ८ जनवरी, १९५४

(२) केन्द्रीय उत्पाद अधिसूचना संख्या ३, दिनांक ११ फरवरी, १९५४

(३) केन्द्रीय उत्पाद अधिसूचना संख्या ६, दिनांक २८ फरवरी १९५४

(४) केन्द्रीय उत्पाद अधिसूचना संख्या ७, दिनांक १९ फरवरी, १९५४

[पुस्तकालय में रख दी गई, देखिये संख्या एस—११२/५४]

अनुदानों* की मांगें

अध्यक्ष महोदय : सदन अब स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग संख्या ४८, ४९, ५०, ५१ तथा १२५ पर विचार करेगा।

सदस्यगण पन्द्रह मिनट के अन्दर अपने कटौती प्रस्ताव सचिव के हाथ दे दें। मैं उन्हें प्रस्तुत किया हुआ समझूंगा बशर्ते कि वह माननीय सदस्य जिनके नाम पर वह होंगी सदन में होंगे तथा वह प्रस्ताव नियमित होंगे।

---

*राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत की गई

अध्यक्ष महोदय ने अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं :—

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
४८	स्वास्थ्य मंत्रालय	६,३८,००० रुपये
४९	चिकित्सा सेवाएं	१,३८,५३,००० रुपये
५०	लोक स्वास्थ्य	५,७७,५६,००० रुपये
५१	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	७०,९२,००० रुपये
१२५	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	५,८४,५८,००० रुपये

निम्नलिखत कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
४८	श्री वी० पी० नायर (चिरयिनकल)	ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा का उपबन्ध न करना	१०० रुपये
४८	श्री वी० पी० नायर	तटवर्ती क्षेत्रों में पूलीपद तथा नहरुआ रोगों की रोक थाम न करना	१०० रुपये
४८	श्री वीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम)	त्रिपुरा के आदिम जातीय क्षेत्रों में कुष्ट रोग की रोक थाम न करना	१०० रुपये
४८	श्री वीरेन दत्त	कस्बा अग्रतला, त्रिपुरा में अन्तड़ियों सम्बन्धी रोगों के प्रसार को न रोकना	१०० रुपये
४८	श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व)	औषधि नियंत्रण सम्बन्धी विधान को शीघ्र पास न करना	१०० रुपये
४८	श्री एच० एन० मुकर्जी	जनता के पौष्टिक आहार सम्बन्धी समस्या की ओर ध्यान न देना	१०० रुपये
४८	श्री बूवराघसामी (पेराम्बलूर)	ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को चलते चिकित्सालयों द्वारा इलाज सम्बन्धी सुविधायें न देना	१०० रुपये
४८	श्री बूबराघस्वामी	नये अर्हत डाक्टरों को एक निश्चित काल के लिये ग्रामों में काम करने के लिये विवश करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी)	ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था के लिये बजट में अधिक धन का उपबन्ध न करना	१०० रुपये
४८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के मामले के प्रति तथा आयुर्वेदिक केन्द्रों के मामले के प्रति सरकार की उदासीनता	१०० रुपये

मांग संख्या	प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
४८	डा० जयसूर्य (मेदक)	होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के लिये संविहित परिषदें स्थापित न करना	१०० रुपये
४९	श्री वी० पी० नायर	अस्पतालों में सामान तथा चिकित्सा सुविधाओं आदि की अपर्याप्तता	१०० रुपये
४९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कस्बों में भी चिकित्सा सुविधा तथा अस्पतालों की अपर्याप्तता	१०० रुपये
५०	श्री वी० पी० नायर	यक्ष्मा के फैलाव को रोकने के लिये स्वास्थ्य गृहों की व्यवस्था न करना	१०० रुपये
५०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	यक्ष्मा को रोकने के लिये स्वास्थ्य गृहों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२५	डा० रामा राव (काकीनाडा)	स्वास्थ्य के लिये धन की अपर्याप्तता	१०० रुपये

डा० जयसूर्य : मैं ने जिस आधार पर अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसी आधार पर २३ और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं ।

देश में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की स्थिति क्या है, यह जानने के लिये मैं ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कुछ आवश्यक आंकड़े मांगे थे, परन्तु उन के पास यह नहीं हैं, कारण राज्य सरकारें उन्हें यह आंकड़े आदि भेजती नहीं हैं । इस में इसका कुछ दोष नहीं । दोष यदि किसी का है तो वह हमारे संविधान का है जिसके अन्तर्गत कि राज्य सरकार इस मामले में केन्द्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं । ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय को या तो तोड़ देना चाहिये या स्वास्थ्य के विषय को एक केन्द्रीय विषय बनाया जाना चाहिये । केन्द्रीय विषय न होने के कारण इस में कई त्रुटियां उत्पन्न हो गई हैं । कहीं भी कोई एकरूपता नहीं । यहां दिल्ली में ही देखिये अस्पतालों में कोई समानता नहीं । मैं ने यहां एक बडा अस्पताल देखा जो कि इतना गन्दा था जितना कि कोई गांव का चिकित्सालय भी नहीं हो सकता है । इस में पैसे की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि दायित्व की भावना की ।

प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि इस मंत्रालय के कृत्य क्या हैं । मेरे विचार में इसकी हैसियत एक सलाहकार संस्था की जैसी है । कुछ तो यह अच्छा काम कर रही है परन्तु सबसे बड़ी समस्या जो रह जाती है वह देहातों में जनता को चिकित्सा सुविधायें देने की समस्या है । कर्नल चोपड़ा की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गई थी उसने सिफारिश की थी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का कोर्स तीन वर्ष का होना चाहिये । परन्तु इस के उलट स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद् की यह सिफारिश स्वीकार की कि यह पांच वर्ष होना चाहिये । प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस तरह से हम कैसे

[डा० जयसूर्य]

चिकित्सकों का एक बड़ा दल तैयार कर सकेंगे जो कि ग्रामों में जा कर काम कर सकेगा। भारत की अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये उच्च-श्रेणी के चिकित्सा स्नातकों के लिये ग्रामों में जा कर वहां बस जाना असंभव है। मद्रास सरकार तथा बम्बई सरकार ने इन्हें इस सम्बन्ध में अर्थ सहायता भी दी थी, परन्तु वह सफल न हुये। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार इस भारी समस्या का सामना नहीं कर सकती है। मोर समिति की रिपोर्ट के अनुसार हमें २५०,००० डाक्टरों की आवश्यकता है जब कि इस समय हमारे पास केवल ४८,००० हैं। आप कहां से यह आवश्यकता पूरी कर सकते हैं? यह आवश्यकता आयुर्वैदिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने से ही पूरी की जा सकती है। कारण आयुर्वैदिक चिकित्सा प्रणाली हमारे समाज का एक अविभाज्य अंग है। चीन में भी प्रशिक्षित डाक्टरों की कमी है। वहां की स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे बताया कि वहां की देशीय चिकित्सा प्रणाली के बिना वह काम नहीं चला सकते हैं। यही बात बिल्कुल हमारे बारे में भी सही है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद में जो लोग हैं उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं कह सकता हूं कि उन्हें आयुर्वेद अथवा होम्योपैथी के सम्बन्ध में अपना फैसला देने का कोई अधिकार नहीं। केवल वह ही व्यक्ति अपना फैसला दे सकता है जिसने कि कई वर्षों तक इनका अध्ययन किया हो।

लोग हमें पूछते हैं कि हम देश में कैसे उन लोगों से इलाज करवा सकते हैं जिनकी दवाइयों का हमें ज्ञान नहीं। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम उन दवाइयों को जानते हैं जो कि हम प्रयोग में ला रहे हैं। अभी भारतीय चिकित्सा परिषद् गवेषणा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हैजा रोकने के लिये जो टीके लगवाये जाते हैं वह उतने प्रभावी नहीं। किन्तु इसके बावजूद हम सभी लोगों को हैज़े के टीके लग रहे हैं। यही हाल बी० सी० जी० टीकों का है। यह टीके अभी नये हैं। इनका भली भांति अध्ययन नहीं किया गया है, अतः हमें यह व्यापक रूप से लगवाने भी नहीं चाहियें थे। किन्तु इसके बावजूद हमने अपने बच्चों को यह टीके लगवाये। यद्यपि हमें आयुर्वेद की अधिक जानकारी नहीं, किन्तु भारत की जनता इस प्रणाली को अच्छी तरह जानती है। हमारे आयुर्वेदाचार्य इसे जानते हैं। वह लोगों का इलाज करते हैं। वह आगे भी उनका इलाज करेंगे। आर्थिक दृष्टि से हमारा भविष्य अभी ज्यादा उज्ज्वल नहीं। इसलिये प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम इस समस्या को कैसे हल करेंगे।

रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने १९५३ तथा १९५४ के लिये भारत के लिये क्रमशः २५२,०९३ डालर तथा १७१,८३९ डालर दिये हैं। यदि वह विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करते हैं तो उन्हें स्थानीय खर्चा केन्द्र अथवा राज्यों द्वारा दिया जाता है। १९५३ तथा १९५४ में यह खर्चा क्रमशः ८४,६१,०९४ रुपया तथा १३४,२१,७६० रुपया था।

मैं सहायता का स्वागत करने के लिये प्रस्तुत हूं। जैसा 'दी नेशन्स हेल्थ' में लिखा है, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि अमरीका सरीखे धनी देश में, जहां विश्व की उत्कृष्ट चिकित्सा संस्था है, स्कूल जाने वाले दो करोड़ बालकों को दांतों के इलाज की आवश्यकता है। उस देश के कुछ भागों की हाल की गणना के अनुसार मालूम हुआ कि ७२ प्रति शत गर्भवती स्त्रियां और स्कूल जाने वाले ८५ प्रति शत बालक रक्ताभाव से पीड़ित हैं। स्कूल जाने वाले दस लाख

बालक अपने जीवन का कुछ भाग मानसिक चिकित्सालयों में व्यतीत करते हैं, अपंग बालकों की बात जाने दीजिये । समुचित इलाज का आश्वासन देने के लिये कोई योजना नहीं है । वहां बीस प्रति शत से भी कम व्यक्ति चिकित्सा व्यय का भार सहन कर सकते हैं । प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि वहां चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधा का तीव्र अभाव है । प्रति १९ मिनट में एक बालक की मृत्यु हो जाती है जिसे बचाया जा सकता था । प्रति चार घंटों में एक माता काल कवलित हो जाती है जिसकी रक्षा की जा सकती थी । हर वर्ष ३२५,००० व्यक्ति ऐसी बीमारियों के शिकार होते हैं जिन से उनकी रक्षा हो सकती थी । न्युयार्क सिटी हास्पिटल के आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि जीवन यापन की वर्तमान कीमतें जारी रहीं तो अधिकांश व्यक्तियों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा है ।

वाशिंगटन डी० सी० की स्वास्थ्य परिषद् में २७ नवम्बर, १९५१ को बाल संस्था के प्रधान ने यह विचार प्रकट किया था कि अनेक स्थानों में बालक अनावश्यक रूप में मर जाते हैं। वे उनकी मृत्यु का कारण डाक्टरों, अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं का अभाव नहीं किन्तु पारिवारिक आय का बहुत कम होना है ।

१९५१ में १० वर्ष से १९ वर्ष के बीच तपेदिक से मरने वाली नीग्रो कन्याओं की संख्या उसी आयु की श्वेत कन्याओं से नौ गुना अधिक है ।

दो वर्ष पहले यह दावा किया गया था कि बी० सी० जी० के टीके लगाने से रेड इंडियन की मृत्यु-संख्या में कमी हो गई है लेकिन प्रतिवेदन के अनुसार उनकी मृत्यु संख्या की दर तपेदिक से मरने वाली सामान्य अमरीकी जनता से १० गुना या उससे भी अधिक है । जब यह संस्था अमरीका जैसे समृद्ध देश की समस्या को हल नहीं कर सकी तो विश्व स्वास्थ्य संघ भारत के समान निर्धन देश को क्या सबक सिखा सकता है । हमें चिकित्सा के दूसरे सस्ते तरीके ढंढना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

जनता तक सस्ती दवाइयां पहुंचाने का उपाय यह है कि हमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी को अपनाना चाहिये। मैं अधिकार-पूर्वक कह सकता हूं कि वह अधिक सस्ती, सरल और प्रभावदायिनी है । आपको यह करना ही पड़ेगा और यदि आप नहीं करेंगे तो जनता आपको ऐसा करने के लिये विवश कर देगी ।

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी–दक्षिण) : मैं अपना भाषण अंग्रेज़ी भाषा में देना चाहता हूं क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से मैं अपनी बात दूसरी ओर बैठे हुये माननीय मित्रों, समाचार पत्र और अन्तर्राष्ट्रीय जगत तक पहुंचा सकता हूं । मैं देश के उन तीस करोड़ व्यक्तियों की ओर से यहां बोल रहा हूं जिन्हें राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य बजटों में से एक पाई का भी लाभ नहीं होता है । मैंने देश में सब ओर बजट देखे हैं और मुझे मालूम है कि थोड़े से राज्यों में कुछ लाख रुपये आयुर्वेद के लिये निर्धारित किये गये हैं, अन्यथा सारा रुपया उस विशाल निगम द्वारा हड़प लिया जाता है जो इस देश में विदेशी औषधियों का प्रधान एजेंट है ।

बजट में ४०० करोड़ रुपया व्यय करने की योजना बनाई गई है लेकिन आयुर्वेद, होम्योपैथी, क्रोमोपैथी, नेचरपैथी अथवा जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली किसी पद्धति पर एक पाई भी खर्च नहीं की गई है । मेरा विश्वास था कि स्वराज हो जाने पर आयुर्वेद को अवसर दिया जायेगा

[श्री धुलेकर]

और जिन तीस करोड़ व्यक्तियों को देश के वार्षिक बजट उपबन्ध में से एक पाई भी नहीं मिल रही है, उन्हें कुछ सहायता मिलेगी। यह प्रजातंत्र है। तीस करोड़ व्यक्ति आयुर्वेद अथवा होम्योपैथी का उपयोग करते हैं, क्या इसलिये उन्हें कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह सर्वविदित तथ्य है कि देश के अन्दर पन्द्रह प्रति शत व्यक्ति ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाते हैं और ८५ प्रति शत व्यक्ति स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर निर्भर रहते हैं। बजट की रकम का उपयोग केवल पन्द्रह प्रति शत व्यक्ति करते हैं और शेष व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करते हैं; इतना होने पर भी इसे स्वास्थ्य विभाग कहा जाता है। प्रजातंत्र जगत में मैं इससे अधिक अन्याय की कल्पना नहीं कर सकता।

प्रति दिन हमारे देश वासी ह्रास की ओर उन्मुख हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग पर मैं आरोप लगाता हूं कि हमारे देशवासी दिनों-दिन अन्धे हो रहे हैं, उन्हें अधिक संख्या में कोढ़ हो रहा है। हमारा आरोप यह है कि ऐलोपैथी पद्धति भारतीय जनता को निःशक्त बना कर जर्जर कर रही है; हज़ारों बीमारियों ने प्रवेश कर लिया है जो पहले नहीं थीं।

श्रीमान्, मैं इस देश के चिकित्सा विभाग की मनोवृत्ति से आपको परिचित कराऊंगा। मिन्नीसोटा विश्व विद्यालय के डा० ल्यो जी० रिगलर चिकित्सा वैज्ञानिकों के एक दल के साथ यहां आये हुये थे। मैं ने उन से कहा कि आप किसी पुस्तकालय में जायेंगे तो कर्नल चोपड़ा के प्रतिवेदन की एक प्रति अवश्य मांगें। लेकिन उन्हें उसकी प्रति नहीं दी गई। डा० रिगलर ने अमरीका जाकर लिखा कि उन्हें जो कुछ सामग्री दी गई थी उसमें यह नहीं बताया गया कि भारत में कितने आयुर्वेद कालेज हैं, कितने लोगों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज होता है, आयुर्वेद में कितना साहित्य है और उसमें नुस्खों की कितनी संख्या है। और जब उन्होंने जांच की तो मालूम हुआ कि यत्र तत्र कुछ आयुर्वेद स्कूल हैं जो शिक्षण करते हैं और उनके कोर्स की अवधि दो वर्ष है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं ने यह उचित नहीं समझा कि अपने ही लोगों को निन्दा का पात्र बनने का अवसर पैदा करूं और मैंने डा० रिगलर को वापस नहीं लिखा।

आजकल सामान्यतया यह बात मान ली गई है कि आयुर्वेद विज्ञान है और यह बात भी गलत सिद्ध की जा चुकी है कि उसका उच्च श्रेणी तक आगे अध्ययन नहीं किया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्थिति तक उसका अध्ययन किया जा सकता है। यदि विज्ञान यह नहीं है तो दो वर्ष तक इण्टर साइंस अथवा पांच वर्ष तक मेडिकल साइंस का अध्ययन पूर्ण कर लेने के पश्चात् स्नातकोत्तर कोर्स में उसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न होती है। गणित में एम० एस० सी० उत्तीर्ण कर लेने पर क्या कोई मुझसे गोखले की अरिथमेटिक पढ़ने के लिए कहेगा? कहा जाता है कि आयुर्वेद अच्छा विज्ञान नहीं है लेकिन मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर कोर्स के लिये वह तब भी अच्छा है। वह यह भी मानते हैं कि आयुर्वेद में कुछ औषधियां अत्यन्त बहुमूल्य हैं। आयुर्वेद में कितनी औषधियां हैं। मैं ने उन्हें गिना नहीं है, लेकिन वह पांच लाख से कम नहीं हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो किसी बाटिका में चले जाइये। प्रत्येक जड़ी बूटी एक प्रकार की औषधि है।

कुछ लोगों का मत है कि आयुर्वेद में अनुसंधान होना चाहिये। लखनऊ में एक

सरकारी संस्था है जिसने पुनर्नव को लिया है। इसके लिये ढाई लाख रुपये से अधिक खर्च किया जा चुका है। यदि आयुर्वेद की पांच लाख औषधियों का अनुसंधान किया जाय तो कितनी रकम खर्च होगी ? आयुर्वेद का विषय औषधियां नहीं हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान नहीं है वह जीवन विज्ञान है। अनुभव के आधार पर निश्चित किया गया है कि मनुष्य, पशु और वनस्पति के निकाय की रचना वात, पित्त, कफ, चौबीस गुण और रसों से हुई है। ऐलोपैथी ने एक अद्भुत औषधि निकाली है कुनैन जो मलेरिया को दूर करती है। लेकिन आयुर्वेद ने इस अद्भुत सिद्धान्त की खोज की है कि कड़वी वस्तु मलेरिया का विनाश करती है, कुनैन नहीं। भले ही वह कड़वी वस्तु, नीम हो अथवा चिरायता हो।

योजना आयोग बेरोजगारी के सम्बन्ध में योजना बनाता है। उसे बेरोजगारी दूर करने के लिये योजना का निर्माण करना चाहिये। भारत में सात लाख गांव हैं। यदि प्रत्येक गांव में यदि एक आयुर्वेद चिकित्सक रख दिया जाय तो सात लाख चिकित्सक, सात लाख कम्पाउन्डर, सात लाख दाइयां हो जायेंगी। यदि दस गावों के पीछे एक सर्जन (शैल्य चिकित्सक) रख दिया जाय तो सत्तर हजार व्यक्ति काम में लग जायेंगे। इस (तहर) आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। लेकिन आप एक बड़े अस्पताल में एक एम० बी० बी० एस० को नियुक्त कर देते हैं और सर्वत्र बेरोजगारी फैल जाती है।

श्रीमान्, आपके द्वारा मैं स्वास्थ्य मंत्री से अपील करूंगा कि वह इन सब बातों पर विचार करें। उन्हें आयुर्वेद कालेज, झांसी विश्व विद्यालय, बंगलौर, मद्रास और जामनगर की अनुसंधान शालाओं की अवस्था पर विचार करना चाहिये।

होम्योपैथ जानने वाले हजारों व्यक्ति लोगों की मदद कर रहे हैं। होम्योपैथी के लिये कोई मेडीकल कालेज नहीं है। पैथी का अर्थ संस्कृत में पद्धति है। इसे ऐलीपैथी क्यों कहा जाता है ? क्योंकि आयुर्वेद भारत से अरब में पहुंचा। अरब अल्लाह की भूमि है और जब यह यूरोप में गई तो यूरोपियन इसे ऐलोपैथी कहने लगे। ग्रीस में इसे यूनानी कहने लगे क्योंकि ग्रीस यूनान कहलाता था। मैं राजकुमारी अमृत कौर को विश्वास दिला दूं कि मैं ऐलोपैथी के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन ऐलीपैथी हमारे देश की समस्या हल नहीं कर सकती है।

श्री के० एम० मुंशी ने लिखा है :

"२४ दिसम्बर को हम झांसी पहुंचे। इस नगर में एक सुन्दर आयुर्वेद विश्वविद्यालय है ; यदि इसे समुचित सहायता दी जाय तो यह एक समुन्नत विश्व विद्यालय का रूप धारण कर सकता है..... यदि ऐलोपैथी पर खर्च की जाने वाली रकम का दशांश भी आयुर्वेद की उन्नति के लिये खर्च किया जाय तो अत्यधिक व्यक्तियों को इससे लाभ पहुंचेगा .... आज मेरे छोटे से शरीर में जो थोड़ी सी भी शक्ति है उसका श्रेय तीन चार आयुर्वेद की औषधियों को ही है।"

भारत की तीस करोड़ जनता का कष्ट दूर करने वाली आयुर्वेदिक संस्थाओं की ओर से मैं आप से अपील करता हूं कि हमारी आवाज सुनी जाये और मेडीकल परिषद् और मेडीकल संस्था की वाणी स्वास्थ्य मंत्री की वाणी के ऊपर न उठने पाये। हम अपील करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में एक आयुर्वेद विभाग खोला जाये ; योजना आयोग की निधि में से पांच करोड़ की रकम इस कार्य के लिये दी जाये और भारत में आयुर्वेद संस्थाओं की समृद्धि के लिये १ करोड़ रुपया प्रति वर्ष निर्धारित किया जाये।

डा० रामा राव : पूर्व इसके कि मैं प्रस्तुत विषय पर कुछेक शब्द कहूं, मैं डा० जयसूर्य की इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में जो उन्होंने आयुर्वेदिक प्रशिक्षण के बारे में प्रस्तुत की है, कुछेक शब्द कहूंगा । यदि आयुर्वेदिक प्रक्षिक्षण से एलोपैथी ही अभिप्रेत है, तो मैं उन से सहमत हूं, नहीं तो मेरी भिन्न विचारधारा है । यह ठीक है कि ऐलोपैथी से हम गांवों में किसी भी प्रकार का पूरा पूरा उपचार नहीं कर सकते, अतः सबसे श्रेष्ठ तरीका यह है कि हम इन डाक्टरी पेशेवरों को चिकित्सा की आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों की शिक्षा में, और छूत-छात की बीमारी, आदि के सम्बन्ध में पूरी पूरी शिक्षा दे । पेंसेलीन, आदि के विषय में उनका ज्ञान बढ़ायें, और उन्हें ये सब औषधियां उपलब्ध करें, ताकि वे गांव में चिकित्सा का काम चला सकें । अतएव, यदि आप इन अनर्ह डाक्टरी पेशेवरों को—वे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या और किसी प्रणाली के हों—इस नये वैज्ञानिक औषधि-उपचार की शिक्षा दें, तो उस से जनता का कल्याण होगा ।

विश्व की स्वास्थ्य सम्बन्धी सारणी से पता चलेगा कि भारतीयों का स्वास्थ्य सब से घटिया है । इसी तरह भारत में अन्य देशों की अपेक्षा सब से अधिक शिशु-मृत्यु होती है ; यहां तक कि जन्म लेने वालों में ५० प्रति शत व्यक्ति बीस वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं । इसका एक मात्र कारण यह है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है ।

अब आप हमारी डाक्टरी समस्याओं को लीजिये । हमारे देश का नम्बर एक शत्रु मलेरिया है जो प्रति वर्ष दस लाख व्यक्तियों तक की जान ले लेता है । यह ठीक है कि सरकार इसका वैज्ञानिक उपचार कर रही है किन्तु अभी पर्याप्त उपचार नहीं हो पाया है । सरकार को चाहिये कि अधिक से अधिक संख्या में मलेरिया विरोधी कृत्रिम दवाइयां बनाये । अब तो मलेरिया को समाप्त करने वाली कुनीन का जमाना नहीं रहा, हमें अन्य कृत्रिम दवाइयां बनानी चाहिये और उन्हें निःशुल्क बांटना चाहिये ।

अब मैं राजयक्ष्मा या क्षय के रोग के सम्बन्ध में कहूंगा । भोर कमेटी ने यह अनुमान लगाया है कि इस बीमारी से प्रति वर्ष ५००,००० लोगों की मृत्य होती रहती है । इस कमेटी का यह भी कहना है कि हमें यक्ष्मा के रोगियों के लिये ५००,००० शैयाओं की आवश्यकता है । आप देखिये कि कई राज्यों में १९४९, १९५० और १९५१ में फेफड़े के क्षय रोग से ४७,६००, ४८,५०० और ५२,८०० आदमी मर गये थे । यह ठीक है कि इस रोग का उपचार हो रहा है किन्तु जिस गति से होना चाहिये था, उस गति से नहीं हो पा रहा है । दिल्ली राज्य की भी ऐसी ही दशा है । और तो और, रेलवे जैसे सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी सरकार की ओर से इस बात की कोई सुविधा नहीं दी जाती कि बीमार होने पर उन के लिये अस्पतालों में अलग शैयाओं का प्रबन्ध हो सके । अकेले रेलवे विभाग के लिये १,००० शैयाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

अभी हाल के सार्वजनिक एक्स-रे परीक्षण से पता चला है कि लगभग १ से ३ प्रति शत तक के स्वस्थ्य व्यक्तियों में भी क्षय रोग के लक्षण पाये जाते हैं । डाक्टरों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और रोगियों के रहने के लिये भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, । परिणाम यह होता है कि देखते देखते यह क्षय रोग फैलता जाता है । मेरा सुझाव है कि सभी का एक्स-रे किया जाना चाहिये, और बाद में उन्हें एक्स-रे के चित्र भी निःशुल्क दिये जाने

चाहिये, ताकि उन्हें साथ साथ इस बात का पता चलता रहे कि रोग की क्या स्थिति है। सरकार की हाइड्राज़ाइड्स और स्ट्रेप्टोमेसिन जैसी नई दवाइयों का निर्माण शुरू करना चाहिये ।

भारत में २० प्रति हजार प्रसूताओं की मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से प्रति वर्ष २००,००० जवान बहिनें काल कवलित हो जाती हैं। किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये। इसका उपचार किया जाना आवश्यक है ।

हैज़ा आदि बीमारियों के कारण २००,००० से अधिक प्राणियों की मृत्य हुआ करती है । इसका एक मात्र कारण यह है कि हमारे देश में रहन-सहन की व्यवस्था ठीक नहीं है । हमारे देश में मल-मूत्र आदि की सफाई की अच्छी व्यवस्था नहीं, न तो इस प्रकार के शौचालय हैं जहां हर समय सफाई रह सके। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। यदि मलेरिया काबू में आ सका तो फिलेरिया भी काबू में आ सकेगा । मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि गुप्तांगों की बीमारियों के सम्बन्ध में अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, यद्यपि पेन्सीलीन, आदि के उपयोग से इस तरह की बीमारियां दूर हो सकती हैं ।

अब मैं परिवार आयोजन की समस्या पर कुछ शब्द कहूंगा । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे किसी भी व्यक्ति द्वारा संतति-निग्रह करने से आपत्ति नहीं है । यह तो अपनी अपनी आवश्यकता को देख कर ही व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली बात है । किन्तु इस पर जो ३० लाख रुपये व्यय किये जाने वाले हैं, यदि वे ही किसी और बात पर यानी क्षय, आदि रोगों के निवारण पर व्यय किये जाते तो कितना अच्छा होता । यह तो मात्र पूंजीवादी प्रचार है कि अधिक जनसंख्या में क्षय, मलेरिया आदि रोगों का प्रादुर्भाव होता है । इस सारी समस्या का हल एक ही है कि समाजवादी पद्धति पर धन का वितरण हो और वैज्ञानिक पद्धति से समाज की रचना की जाये । लेडी हार्डिंग कालेज और अस्पताल जैसी कई संस्थायें हैं जो सरकार के अधिकार में रहनी चाहियें, नहीं तो रोगियों का कल्याण होना असंभव दीख रहा है ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी खाद्य अपमिश्रण विधेयक और औषधि अधिनियम को शीघ्र ही सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे ।

मेरा एक और सुझाव यह है कि खेल-कूद आदि का काम स्वास्थ्य मंत्री के हाथ में रहना चाहिये ।

हमारी पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि केवल ३० प्रति शत व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन मिलता है । यही कारण है कि मलेरिया और क्षय जैसी बीमारियां फैलती रहती हैं । इस कमी को राष्ट्र की समस्या मान कर ही चलना आवश्यक है। इस सारे रहस्य का मूल मंत्र यही है कि खाद्य समस्या और सेवा नियोजन समस्या को हल किया जाय और धन के समान वितरण की व्यवस्था की जाय । और इन सभी समस्याओं को सुलझाने का यही मूलमंत्र है कि समाजवादी पद्धति पर ही इस सारे देश का आर्थिक ढांचा खड़ा किया जाय ।

श्री सुशील रंजन चटर्जी (पश्चिमी दीनाजपुर) : भारत में लोक स्वास्थ्य की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है । इसकी जटिलता लोगों की निरक्षरता तथा निम्न जीवन निर्वाह-स्तर से भी बढ़ जाती है । एक या दो देशों को छोड़ हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय सब देशों से कम है । विभिन्न विभागों की विशेष जलवायु तथा सामाजिक रूढ़ियों से इस जटिलतो का रूप और भी गम्भीर हो जाता है । यह खेद की बात है

[श्री सुशील रंजन चटर्जी]

कि केवल निरक्षरों में ही नहीं, अपितु तथा-कथित पढ़े लिखे लोगों में भी स्वास्थ्य भावना का पूर्ण अभाव है ।

शिक्षा का स्वास्थ्य भावना से गहरा सम्बन्ध है । इस भावना को तो आरम्भ से ही प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले बालकों के मन में भरना चाहिये । स्विटज़रलैंड में जो संसार का सबसे स्वच्छ देश है, बालकों को वर्णमाला सिखाने से पहले "पुस्तक को साफ रखो" आदर्श की शिक्षा दी जाती है ।

डा० बेन्टले, से जो हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में लोक स्वास्थ्य के प्रोफेसर थे, जब उनकी मलेरिया विरोधी योजनाओं की असफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा "पहले आप लोगों को भोजन दीजिये, मलेरिया अपने आप भाग जायगा ।" यह बात मलेरिया के सम्बन्ध में ही नहीं, सभी रोगों के बारे में ठीक है । भोजन का अर्थ गेहूं तथा चावल ही नहीं है । इसमें दूध, अंडे तथा विटेमिन वाली सब्जियां आदि भी शामिल हैं । सरकार को मुर्गी पालन, क्षेत्रों आदि के विकास की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये ।

यदि हमारे देश की निरक्षरता, कुपोषण तथा निम्नजीवन-निर्वाह-स्तर के प्रभावों का अनुमान करना हो तो बाल-मृत्यु संख्या से किया जा सकता है । प्रत्येक १००० जन्म देने वाली माताओं में से २० प्रतिशत की तो जनन काल में ही मृत्यु हो जाती है तथा प्रत्येक १००० में से १४५ बच्चे एक वर्ष के अन्दर ही मर जाते हैं । जो बचे भी रहते हैं, वे भी जन्मतः बहरे, गूंगे, अन्धे या अन्य विरूपताओं के शिकार हो जाते हैं ।

हमारे देश में प्रत्येक वर्ष दस लाख व्यक्ति मलेरिया से, पांच लाख क्षय-रोग से और इसी प्रकार से कई लाख दूसरे रोगों से मरते हैं । विपत्ति यही नहीं है । प्रत्येक मृत्यु के स्थान पर १.५ जन्म होते हैं । इसी कारण परिवार आयोजन की दुहाई दी जाती है, परन्तु इस से तीन पीढ़ियों तक ठोस परिणामों की आशा नहीं होनी चाहिये ।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

पश्चिमी देशों में ऐसे उल्लेखनीय परिणाम दो तीन पीढ़ियों के बाद ही प्राप्त हो सके हैं । हमारे जीवन निर्वाह का स्तर जितना ऊंचा होगा, उतना ही जनन-शक्ति कम होती जायगी । इन सब बातों पर विचार करते समय मैं कई बार सोचता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों को एक कर दिया जाना चाहिये ।

सारे समिति की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य के मामलों में हम दूसरे देशों से बहुत पिछड़े हुए हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने कुछ काम किया है, परन्तु यह समस्या बहुत बड़ी है । मोर समिति की कुछेक सिफारिशों के सम्बन्ध में तनिक भी विलम्ब नहीं होना चाहिये । ये सिफ़ारिशें स्वास्थ्य, विनाशकारी रोगों के दमन, कुपोषण के दूर करने तथा खाद्य के उत्पादन आदि के बारे में हैं । जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी गवेषणा का सम्बन्ध है, सरकार ने सारे देश में गवेषणा संस्थायें खोली हैं । आशा है कि इस दिशा में हम शीघ्र ही उच्च स्तर प्राप्त कर सकेंगे । चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों को राज्य सरकारें काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण दे रही हैं, फिर भी बहुत कुछ करना अभी शेष है ।

हमारे जन्म मरण के आंकड़े बहुत त्रुटिपूर्ण हैं । वर्तमान अधिनियम को पुनरीक्षित किया जाना चाहिये तथा रोग तथा पोषण के सम्बन्ध में पुनरीक्षण करने का काम तत्काल किया जाना चाहिये ।

मेरे विचार से मोर समिति की चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार सम्बन्धी सिफ़ारिश बहुत बड़ी है। इसे केवल संशोधित रूप में ही क्रियान्वित किया जाना चाहिये। जहां तक मलेरिया तथा क्षय रोग जैसे विनाशकारी रोगों के नियन्त्रण का सवाल है, मलेरिया को तो नियन्त्रित किया जा सकता है, परन्तु क्षय रोग से देश में आतंक सा फैला हुआ है। इस का अभी तक कोई निश्चित इलाज़ मालूम नहीं हो सका है। चेचक की तरह इस रोग के लिए बी० सी० जी० टीका है, परन्तु हमारे बच्चों के लिए काफ़ी खाद्य तथा पोषण पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी बी० सी० जी० टीका अवश्य ही क्षय रोग निरोधक है। क्षय रोग के लिए हमारे अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बहुत कम है। रेलवे मंत्रालय को एक हज़ार बिस्तरों वाला हस्पताल बनाना चाहिये। इसी प्रकार से रक्षा मंत्रालय को भी एक हज़ार बिस्तरों वाला अस्पताल बनाना चाहिये। खान तथा वस्त्र उद्योग को भी पांच पांच सौ बिस्तरों वाले अस्पतालों की व्यवस्था करनी चाहिये। इसी प्रकार की व्यवस्था चाय तथा काफ़ी उद्योग को और विश्वविद्यालयों आदि को यथासामर्थ्य व्यवस्था करनी चाहिये। प्रत्येक ज़िला अस्पताल में क्षय रोग सम्बन्धी आरोग्यशाला होनी चाहिये।

अन्त में मैं वातावरण की स्वच्छता के अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर दो शब्द कहूंगा। इस का अर्थ है ढके हुए जल की व्यवस्था तथा परिवार, समुदाय तथा फैक्टरी की गन्दगी को ठीक तरह से ठिकाने लगाना। इस दिशा में सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं ने कुछ काम किया है, परन्तु बहुत कुछ करना अभी शेष है। यदि इन दो बातों की ओर तुरन्त तथा पर्याप्त ध्यान दिया जाय तो हमारे ग्राम्य-क्षेत्रों के स्वास्थ्य-चित्र में निश्चित सुधार दिखाई देगा।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् (डिन्डीगल): अभी तक किसी भी माननीय सदस्य ने नर्सों के बारे में, जो हमारी जनता के स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक हैं, कुछ नहीं कहा है। आज लड़कियां एक बहुत बड़ी संख्या में नर्स के काम में प्रशिक्षण पा रही हैं। परन्तु बहुत समय, शक्ति तथा धन के व्यय के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। साथ ही देश में काफ़ी संख्या में नर्सों के न मिलने का शोर है। यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अस्पतालों में नियुक्त नर्सों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। इतना परिश्रम करने पर भी, उन के वेतन बहुत कम हैं। उन्हें बहुत निकम्मा भोजन मिलता है। दिन भर के सख्त काम के बाद उन में खाना खाने की भी शक्ति नहीं रह जाती है। जब स्वयं इन नर्सों को ही अच्छा खाना नहीं मिलता है तो वे रोगियों की क्या सेवा कर सकती हैं?

माननीय मंत्री की नर्सों के प्रति सहानुभूति को मैं जानती हूं। उन से मेरा निवेदन है कि वह राज्यों को ऐसे निदेश दें जिन से नर्सों को अच्छे वेतन दिये जायं; उन को पोषक भोजन मिले तथा उन की देख भाल अच्छी प्रकार से की जाय।

भारत में काफ़ी डाक्टरों के न होने से बहुत सी स्त्रियां दाइयों का काम करती हैं। बहुत सी युवतियां यह काम करने की इच्छुक हैं तथा वे ग्रामों में जाने के लिए भी तैयार हैं। परन्तु उन्हें भी जीवन-निर्वाह के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है। बिना इस के उन्हें ग्रामों में जाने तथा लोगों की सेवा करने के लिए कहते रहने से कुछ लाभ नहीं है। शहरों में लोग इस लिये रहना चाहते हैं कि वहां कुछेक ऐसी सुविधायें हैं जो ग्रामों में नहीं हैं। आप उन्हें कुछ सुविधायें दें जिस से ये ग्रामों में जा कर पीड़ित मानवता की सहायता कर सकें। सभी स्थानों पर अस्पताल नहीं बनाये जा सकते

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन]

हैं अथवा डाक्टर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। परन्तु यदि हम अधिक नर्सों तथा दाइयों को प्रशिक्षित करें तथा उन्हें उचित सुविधायें दें तो निश्चित रूप से कुछ सुधार हो सकता है। उन्हें कम निर्वाह राशि तथा सुविधायें देने से वे ग्रामों की जनता की अच्छी प्रकार से सेवा कर सकेंगी।

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : सभा-नेत्री जी, श्री बार ने अपनी पुस्तिका में भारत के बारे में कहा है कि बच्चे प्रायः एक वर्ष की आयु के अन्दर ही मर जाते हैं तथा लगभग आधे व्यक्ति ही जवान हो पाते हैं। बहुत से व्यक्ति सारी आयु रोगग्रस्त रहते हैं अथवा भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। भारतीय पोषक पदार्थ नहीं खाते हैं तथा दुर्भिक्ष का सदैव डर रहता है।

हो सकता है कि मेरे आंकड़ों में कोई ग़लती हो, परन्तु मेरे विचार से भारत में दस करोड़ व्यक्तियों को मलेरिया होता है। जिन में से २० लाख व्यक्ति मर जाते हैं; २० लाख क्षय रोग का शिकार होते हैं जिन में से पांच लाख मर जाते हैं। इसी प्रकार से रजित रोग, अन्धेपन आदि रोगों से भी कई लाख व्यक्ति पीड़ित हैं। टाइफ़ाइड, चेचक जैसी बीमारियों से भी जानें जाती हैं। प्रति हज़ार में से १६२ बालक मर जाते हैं। आयु-सीमा ३२ वर्ष है। लोगों को चिकित्सा के लिये डाक्टरों तथा नर्सों की संख्या बहुत कम है। प्रत्येक ६००० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर तथा प्रत्येक ४३,००० व्यक्तियों के लिए एक नर्स है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बहुत कम है।

हमारे देश की ८८ प्रतिशत जन-संख्या ग्रामों में रहती है तथा बारह प्रति शत शहरों में। शहरी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों का है। शहरों में रहने वालों को चिकित्सा सम्बन्धी कुल सुविधाओं का तीन चौथाई भाग उपलब्ध है। इस से यह पता चलता है कि सरकार जो कुछ कर रही है, वह केवल बारह प्रतिशत जनसंख्या के लिए ही कर रही है, ८८ प्रतिशत के लिए नहीं। इन में से आठ प्रतिशत उद्योग-पति, मंत्री आदि जैसे बड़े बड़े लोग हैं। भविष्य में सरकार जो कुछ करे, वह इन ९२ प्रतिशत लोगों की भलाई के लिए ही करे।

आदिमजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी बहुत कम सुविधायें प्राप्त हैं तथा अस्पतालों में जाने वालों से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। पिछले वर्ष मैं एक मित्र, एक संसद् सदस्य को, एक्सरे कराने के लिए जब एक बड़े अस्पताल में ले गया। मुझे स्वयं उन्हें एक्सरे के कमरे तक अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना तथा लाना पड़ा। यदि मेरे जैसे दिखाई देने वाले व्यक्तियों से यह व्यवहार होता है तो इस से भी घटिया वस्त्र पहनने वालों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। हमारे सब डाक्टर और नर्सें इस समय शहरों में ही भरे पड़े हैं। इन में से बहुत से घूसखोर डाक्टर हैं तथा नर्सें और दाइयां भी रोगियों से पैसे मांगती हैं। यदि रोगी पैसे न दें तो उन से अच्छा व्यवहार नहीं होता है। मैं ने सार्वजनिक सभाओं में जनता का तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है, परन्तु कुछ विशेष परिणाम नहीं निकला है। यदि इन डाक्टरों और नर्सों को शहरों में रखना है तथा ग्रामों में नहीं भेजना है तो इन्हें छात्रवृत्तियां देने से क्या लाभ है? इन के प्रशिक्षण का लाभ ग्रामों तथा आदिमजातीय क्षेत्रों को भी पहुंचना चाहिये। इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये। जब तक इन की संख्या बढ़ाई नहीं जाती, होमियोपैथी तथा दूसरी

स्वदेशी चिकित्सा-प्रणालियों को चलते रहने दिया जाय : इन प्रणालियों से घृणा का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये । अभी तक ग्रामों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ये प्रणालियां बहुत संतोषजनक काम करती रही हैं । देश के चिकित्सा क्षेत्र में इन्हें सम्मान का स्थान दिया जाय । इन प्रणालियों को मान्यता न दिये जाने से लाखों व्यक्ति अपनी जीविका से वंचित हो जायेंगे । चलते फिरते औषधालयों से ग्रामों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है । जब तक पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें नहीं बन जाती हैं; ये औषधालय निरर्थक हैं । प्रत्येक चलते फिरते औषधालय में एक योग्यता-प्राप्त डाक्टर तथा कुछ चिकित्सा कर्मचारी और परिवहन के लिए एक दर्जन के लगभग खच्चर होने चाहियें ।

स्वास्थ्य का मामला सभी के लिए एक सामाजिक मामला है । इस की सभी को आवश्यकता है । अतएव यदि सरकार सभी को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें देना चाहती है, तो सामाजीकरण ही एकमात्र मार्ग रह जाता है । सरकार की वर्तमान नीति से केवल आठ प्रतिशत जनसंख्या को ही लाभ पहुंचेगा । माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह मेरे सुझावों पर विचार करें तथा विशेषत: ग्रामों, आदिमजातीय क्षेत्रो तथा शहरों के उन गन्दे मुहल्लों आदि की ओर ध्यान दे जिन में मज़दूर बसते हैं । इस समय केवल मंत्रियों तथा बड़े बड़े अधिकारियों के लिए ही सभी कुछ किया जा रहा है । यदि आप ग्रामों तथा पहाड़ी क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं देंगी तो यह देश के बड़े आहत की बात होगी तथा इस नीति से देश का विनाश हो जायेगा ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : सभानेत्री जी, जिन वक्ताओं ने अपनी कठिनाइयां बताई हैं और जिन्होंने राष्ट्र के स्वास्थ्य के सुधार के लिये अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं, मैं ने उन सब के भाषणों को बड़ी रुचि और प्रसन्नता से सुना है । मैं इस थोड़े से समय में अधिकांश बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी ।

एक माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि जब उन्होंने मुझ से देश में औषधालयों तथा चिकित्सालयों की संख्या और उन में कितने रोगियों की व्यवस्था है और कितने रोगी रहते हैं इत्यादि प्रश्न पूछे तो मैं उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं दे सकी । उन का यह कहना ठीक था कि वे इस का दोष मुझे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में राज्य स्वायत्तशासी हैं और मैं उन से यह जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी हूं । सच्चाई बिल्कुल यही है कि मैं केवल राज्यों को जानकारी भेजने के लिये लिख भी सकती हूं । मैं यह बताना चाहती हूं कि मैं गत कई वर्षों से इस प्रकार की सारी जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न कर रही हूं जिस से कि सदन के समक्ष देश की स्वास्थ्य स्थिति का स्पष्ट चित्र रख सकूं, किन्तु मुझे ये आंकड़े मिल नहीं सके हैं । मेरे पास इस समय जो आंकड़े हैं वे १९४८–४९ के सम्बन्ध में हैं, अत: ये इस समय के लिये उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि स्वाभाविकतया मैं यह जानना चाहती हूं कि हम ने कितनी प्रगति की है । तथापि इन आंकड़ों को प्राप्त करने की असमर्थता के बावजूद भी मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि राज्यों में प्रगति हो रही है, वहां और चिकित्सालय खोले जा रहे हैं, वहां और औषधालय खोले जा रहे हैं और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मैत्रियों का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया गया है ।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है भारत में स्वास्थ्य की समस्या का अर्थ यह है कि हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को कितनी चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुंचा

[राजकुमारी अमृतकौर]

सकते हैं । इस में ज़रा भी सन्देह नहीं है कि हमारी सभी योजनाओं में—यदि कोई निष्पक्ष भाव से पंचवर्षीय योजना को पढ़े तो वह देखेगा कि—जिन लोगों ने उसे बनाया है उन का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता पहुंचाना और उन का सुधार करना है । स्वास्थ्य के विषय में भी यह बिल्कुल स्पष्ट है । यदि माननीय सदस्य स्वास्थ्य मंत्रालय के इस वृत्तान्त को पढ़ें और उस में प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी ।

मलेरिया भारत का सब से बड़ा शत्रु है । यदि माननीय सदस्य योजना को देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शेष ढाई वर्षों में हम इस देश के साढ़े बारह करोड़ व्यक्तियों को मलेरिया के खतरे से मुक्त करने की आशा करते हैं । मुझे आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यदि सारे देश में नहीं तो लगभग सारे देश में हम मलेरिया की रोक-थाम के कार्य को बढ़ा सकेंगे ।

अब मलेरिया नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक फैलता है । यह किसान को कई मास के लिये निकम्मा बना देता है और यदि किसान को इस से बचाया जा सके तो वह और अधिक अनाज पैदा कर सकता है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और प्रथम पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में भी, मैं इस के लिये बात-चीत कर रही हूं और मुझे आशा है कि हम लोगों को पीने के लिये साफ़ पानी दे सकेंगे, क्योंकि मेरी सम्मति में उपचार से रोक सदा ही अच्छी होती है और यदि हम लोगों को शुद्ध पीने का पानी दे सकें और यदि हम उपलब्ध आधुनिक ज्ञान के द्वारा मलेरिया से छुटकारा पा सकें, या कम से कम मलेरिया के खतरे से मुक्त हो सकें, तो मैं यह समझूंगी कि हम ने ग्रामीण भारत के लिये बहुत कुछ किया है ।

बहुत से सदस्यों ने बहुत अधिक संख्या में बच्चों के पैदा होने और बाल-मृत्यु का तथा औसत जीवनांक का भी उल्लेख किया है । क्या मैं यह निवेदन कर सकती हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् औसत जीवनांक २७ से बढ़ कर ३२ हो गया है ? मेरे विचार में यह कोई बुरा रिकार्ड नहीं है । मैं जानती हूं कि यह कोई बहुत अच्छी प्रगति नहीं है, किन्तु हम ने कोई अवनति तो नहीं की है । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जहां कहीं महिला स्वास्थ्य प्रेक्षिकायें या धायें भेजी जा सकी हैं वहां मृत्यु संख्या तुरन्त घट गई है ।

कलकत्ता की अखिल भारतीय स्वास्थ्य संस्था में हम ने ग्राम कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण का कार्य बढ़ा दिया है जिस से कि बच्चे तथा माता के कल्याण और चारों ओर की सफाई के लिये भी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिस का कई वक्ताओं ने उल्लेख किया है, हम ग्रामों में इस प्रकार के कार्यकर्त्ता भेज सकें जो ग्रामों की आवश्यकताओं को समझ सकें और लोगों को यह बता सकें कि गन्दे रहने का जो स्वभाव बन गया है उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? इस के अतिरिक्त हम ने कुछ समय पूर्व चारों ओर की सफाई के लिये एक समिति भी नियुक्त की थी । इस ने बहुत ही बहुमूल्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । किन्तु राज्य धन की कमी के कारण इस की बहुत सी सिफ़ारिशों को क्रियान्वित नहीं कर सके हैं । तथापि इस विषय को बिल्कुल छोड़ नहीं दिया गया है और स्वास्थ्य परिषद् के मंत्रियों की गत बैठक में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाने के लिये एक उप-समिति बनाई गई है, जो कि बहुत उपयोगी होगी । राज्यों में चारों ओर सफ़ाई रखने की

समस्या के अत्यन्त आवश्यक होने की ओर राज्यों का पुनः ध्यान दिलाया गया है।

मुझ पर यह दोष लगाया गया है कि मैं देश की एक नीति में एकरूपता नहीं ला सकी हूं। यह सत्य है। इस में एकरूपता न होने के विभिन्न कारण हैं। निस्सन्देह, इस का मुख्य कारण यह है कि स्वास्थ्य के विषय में राज्य स्वायत्त हैं।

डा० जयसूर्य : मेरे विचार में आप ने मुझे ग़लत समझा है। मैं ने यह नहीं कहा कि आप के यहां एकरूपता नहीं है, किन्तु जब तक आप के पास शक्ति न हो तब तक आप एकरूपता नहीं ला सकती हैं।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं माननीय सदस्य की बात समझ गई हूं। उन का यह कहना है कि जब तक केन्द्र का नियंत्रण न हो तब तक यह नहीं हो सकता है। मैं उन की इस बात से सहमत हूं। इस के लिये हमें संविधान को बदलना होगा। आखिर मुझे तो वर्त्तमान संविधान की सीमाओं के अन्दर ही कार्य करना होगा। परन्तु, मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया है और जब हम आपस में चर्चा कर के कोई नीति निश्चित कर लेते हैं तो वे अपने भौतिक तथा शारीरिक साधनों के अनुसार उसे कार्यान्वित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। मैं समझती हूं कि मेरे लिये कार्य करने का यही सब से अच्छा ढंग है। और यह स्वास्थ्य परिषद् एक बहुमूल्य गोष्ठी है जिस से कि मुझे यह पता लग जाता है कि राज्यों में क्या कुछ हो रहा है। इस से मुझे उन्हें सलाह देने या उन का पथ-प्रदर्शन करने का अवसर मिल जाता है, जो कि यदि वे इससे लाभ उठाना चाहें, तो केन्द्र से हर समय मिल सकता है।

विरोधी पक्ष के मेरे माननीय मित्र ने जो बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं उन के लिये मैं उन की आभारी हूं। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगी कि ग्राम का कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिये मैं एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम की सिफारिश कर चुकी हूं। सामूहिक परियोजनाओं के लिये हमारे पास तीन प्रशिक्षण केन्द्र हैं, उन ग्राम कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिये, जो जा कर सामूहिक परियोजनाओं में सहायता करेंगे और जिन का ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता रहेगा, विशेष केन्द्र हैं। यह थोड़े समय का प्रशिक्षण है। इन तीन केन्द्रों के अतिरिक्त—एक दक्षिण में, एक कलकत्ते में और एक दिल्ली में—मैं ने सभी राज्यों से सहायक कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने की सिफ़ारिश की है और उन में से लगभग सभी ने इस सिफारिश को मान भी लिया है : इस से ठीक उसी प्रकार का प्रशिक्षण मिल जाता है जिस का कि मेरे मित्र डा० रामा राव ने सुझाव दिया है।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : यह प्रशिक्षण किस प्रकार का है ? क्या यह होमियोपैथों और यूनानियों और आयुर्वेद वालों को आधुनिक विज्ञान का या किसी और का प्रशिक्षण देना है।

राजकुमारी अमृतकौर : यदि किसी होमियोपैथी या आयुर्वेद या यूनानी के व्यवसायी को या किसी और को जिसे किसी प्रकार का बिल्कुल कोई प्रशिक्षण न मिला हो, इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने की इच्छा हो, तो वह अवश्य इसे प्राप्त कर सकता है, और वह अपनी होमियोपैथी, आयुर्वेद या यूनानी का व्यवसाय कर सकता है। किसी के ऐसा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं आयुर्वेद के प्रश्न पर भी आ रही हूं। मैं इसे अन्त में लूंगी।

यह सुझाव दिया गया है कि संश्लेषित कुनीन अधिक बनाई जाये। अभी तो हमारे यहां संश्लेषित कृत्रिम कुनीन बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। हम शुद्ध कुनीन ही अपनी आवश्यकताओं के लिये लगभग पर्याप्त मात्रा में

[राजकुमारी अमृतकौर]

बना लेते हैं और इस के बिना हमारा निर्वाह भी नहीं हो सकता है। औषधि उद्योग के प्रश्न की जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में सिफ़ारिश करने के लिये एक समिति नियुक्त की हुई है। इस वर्ष डी. डी. टी. का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और मुझे आशा है कि पैनिसिलीन का भी उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। मुझे आशा है कि इन दो कारख़ानों के खल जाने से हमारे यहां सल्फा औषधियों तथा एन्टी-बायोटिक्स का भी उत्पादन आरम्भ हो जायेगा जिन की हमें बहुत आवश्यकता होती है।

बहुत से सदस्यों ने आज कल भारत में क्षय रोग के प्रकोप के दूर किये जाने पर बहुत बल दिया है। मैं भी इस के प्रति बहुत सजग हूं। जब मैं ने यह कार्य भार संभाला तो सारे भारत में केवल पांच हजार रोगियों के लिये व्यवस्था थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि सरकार की सहायता से भी कहीं अधिक इस देश के लोगों की सहायता से हम चालीस लाख रुपये इकट्ठे कर सके हैं और चौगुने रोगियों के लिये रहने की व्यवस्था हो गई है। और मेरे विचार में यह भी कोई कम सफलता नहीं है। इस के अतिरिक्त अब क्षय रोग के चिकित्सालय बन गये हैं—और मुझे आशा है कि इस वर्ष दो और खुल जायेंगे—जिन में लोगों का अत्युत्तम उपचार किया जायेगा और इन के द्वारा घरों में भी उपचार किया जायेगा। मैं जानती हूं कि और बहुत से रोगियों के लिये भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जैसी कि मुझ से सिफारिश की गई थी मैं आगामी पांच वर्षों के लिये पचास हजार रोगियों की व्यवस्था का लक्ष्य रखना पसन्द करूंगी। परन्तु मुझे उन माननीय सदस्यों का यह सुझाव स्मरण रखना होगा कि पचास हज़ार रोगियों की व्यवस्था के लिये ४० करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आयेगा और ६ करोड़ रुपये आवर्त्तक व्यय आयेगा। यह सब धन मैं कहां से प्राप्त करूंगी? मैं यह कहूंगी कि हम में से प्रत्येक को यह स्मरण रखना चाहिये कि क्षय रोग एक ऐसा रोग है जो हमारे जीवन-स्तर के ऊंचा उठ जाने पर, कुपोषण तथा अल्प पोषण के प्रश्न के हल हो जाने पर, जब हम अधिक अन्न उपजाने लगेंगे, जिस की कि मुझे पूर्ण आशा है, और जैसे जैसे हमारे घरों में भीड़ कम होती जायेगी, वैसे वैसे यह समाप्त होता जायेगा। जब तक अधिक भीड़-भाड़, कुपोषण और कम पोषण रहेगा, मैं वस्तुतः तब तक उस प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकती जिस प्रकार का कि मैं चाहती हूं। ये सब बातें एक साथ होती हैं।

किसी ने नर्सों के प्रश्न का उल्लेख किया था मुझे इस से बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं माननीय सदस्य को यह स्मरण कराना चाहती हूं कि नर्सिंग के सम्बन्ध में गत पांच वर्षों में जितना कुछ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उतना सम्भवतः किसी ने भी नहीं किया है। और किसी वर्ष में छः मास भी ऐसे नहीं बीते होंगे जिस में मैं ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को यह न लिखा हो कि नर्सों का वेतन स्तर ऊंचा उठाया जाये, उन्हें रहने के लिये अच्छे मकान दिये जायें और उन के काम के घंटे घटाये जायें। एक नर्सिंग कालेज खोल दिया गया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि नर्सों के वेतन भी बढ़ गये हैं।

यदि डाक्टरों और नर्सों में बेकारी है, तो इस का कारण यह है कि उन्हें काम पर लगाने के लिये पर्याप्त धन नहीं है। डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने में एक कठिनाई यह है कि, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया, उन्हें जीवनयापन के लिये पर्याप्त मजूरी नहीं दी जाती है। हमारे नवयुवक डाक्टर गांवों में जाने को तैयार हैं, किन्तु वहां उन के पास एक छोटा सा चिकित्सालय तो होना ही चाहिये

जिस में कि वे अपना कौशल दिखा सकें। परन्तु प्रायः ऐसा होता है कि उन्हें ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है। इस ओर भी राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है और मुझे आशा है कि यह प्रश्न हल हो जायेगा। मैं सभी मैडिकल कालेजों को लिख रही हूं और मैं निश्चय ही यह चाहूंगी कि यहां जो अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था बन रही है उसे अवर-स्नातकों, स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान के लिये वस्तुतः ग्रामों में प्रशिक्षण देना चाहिये जिस से कि जो व्यक्ति यह व्यवसाय करें उन्हें इस समस्या को समझने और ग्रामों में जाने के लिये आन्तरिक प्रेरणा मिले।

परन्तु जब तक औषधि विज्ञान का समाजीकरण न किया जाये और हम डाक्टर को इतना धन न दे सकें, जिस से कि उसे निजी व्यवसाय पर निर्भर न रहना पड़े, तब तक यह होना कठिन है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब तक चिकित्सा का समाजीकरण नहीं होगा तब तक भारत में किसी चीज़ के लिये कोई आशा नहीं है। हम इस ओर क़दम उठा रहे हैं, यद्यपि इस में सन्देह नहीं कि ये क़दम बहुत धीरे धीरे उठाये जा रहे हैं। परन्तु मैं उन की इस बात से भी सहमत हूं कि हमें इस समय अपने सीमित साधनों से ही यथाशक्ति इस ओर प्रगति करनी चाहिये। हम इस ओर जा रहे हैं। कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है और भारत सरकार के कर्मचारियों के लिये यहां पहली बार अंशदेय चिकित्सा योजना भी खोली जा रही है। मुझे आशा है कि इन छोटे क़दमों से ही भविष्य में बड़े क़दम उठाये जायेंगे।

एक मननीय सदस्य ने सामूहिक एक्स रे परीक्षण की ओर निर्देश किया। जहां कहीं भी यह परीक्षण किया जाता है, वहां तपेदिक के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, पटना आदि स्थानों में ऐसा परीक्षण मुफ्त किया गया है, और इस से ज्ञान बढ़ रहा है। बी० सी० जी० टीके के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों का कथन है कि वह असफल घोषित कर दिया गया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिन जिन देशों में इस का प्रयोग किया गया है, उन्होंने इस को बहुत अच्छा बताया है। ब्रिटेन जैसे रुढ़िवादी देश ने भी इसे अच्छा बताया है। अमरीका में भी ये टीके सामूहिक रूप से लगाये जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में कहा। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें यह बता देना चाहती हूं कि मुझे यह बात मालूम है कि ऐसे क्षेत्रों के लिये अभी बहुत थोड़ा काम हुआ है। परन्तु मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से उन पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जो भारत सरकार के अधीन आते हैं। यदि उक्त माननीय सदस्य किसी समय मेरे कार्यालय में आने की कृपा करें तो मैं उन को इस बात का प्रमाण दे सकती हूं कि मनीपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, अन्य अधिक सम्पन्न स्थानों की अपेक्षा, प्रति व्यक्ति कहीं अधिक औषधालय और अधिक डाक्टरी सहायता उपलब्ध है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिये मैं भरसक अधिक से अधिक कार्य करने की इच्छुक हूं। हम ने मनीपुर को एक चलता फिरता औषधालय दिया है और ऐसा ही एक दूसरा औषधालय पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों को दिया जाने वाला है। पहले की तुलना में वहां की स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत सुधार हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी दो लाख है और घाटी वाले क्षेत्रों की चार लाख। परन्तु घाटी वाले क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक अस्पताल और औषधालय हैं। घाटियों में केवल सात औषधालय और उन की छः शाखायें हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इन की संख्या कहीं अधिक है और १९५२–५३ में दस औषधालय और

[राजकुमारी अमृत कौर]

खोले गये हैं, और अधिक औषधियां दी जा रही हैं। अतः मेरा उन से अनुरोध है कि वह इस बात पर विश्वास करें कि इन क्षेत्रों की ओर हमारा पूरा ध्यान है।

मैं यह स्वीकार कर ती हूं कि हमारे आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं। इस सम्बन्ध में भी हम भरसक सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आशा है कि आगामी वर्ष में इस क्षेत्र में भी हम कुछ प्रगति दिखा सकेंगे ?

अब मैं आयुर्वेदिक प्रणाली के प्रश्न पर आती हूं, जिस के सम्बन्ध में इस सदन के कुछ सदस्यों ने कुछ बातें बहुत ज़ोर शोर के साथ कही हैं। सच तो यह है कि कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हमारे देश की डाक्टरी सहायता की समस्या का एकमात्र समाधान आयुर्वेद के द्वारा हो सकता है। इस सम्बन्ध में मै पहले भी कई बार कह चुकी हूं कि इस देश में आयुर्वेद शताब्दियों से है, परन्तु कुछ कारणों से उस की प्रगति बहुत कालों से रुकी हुई है। निस्सन्देह आधुनिक औषधि ज्ञान गत वर्षों में विद्यमान सभी औषधि प्रणालियों से उत्पन्न हुआ है। इस देश के अधिकांश लोग—यहां तक कि देहाती लोग भी —वैद्यों के सम्बन्ध में यह कहते हैं कि मामूली बीमारियों के लिये तो ये लोग अच्छे होते हैं लेकिन जब हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो हमें उस के लिये डाक्टरों की ज़रूरत होती है। ये हैं हमारी देश की जनता के विचार। इसं के बावजूद भी, मैं यह कहती हूं कि यदि आयुर्वेद आधुनिक औषधि को कोई अंशदान देना चाहता है, तो उसे वैज्ञानिक जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए काफी धन अलग रख दिया गया है। आयुर्वेद में जो भी अनुसन्धान अथवा शोधकार्य हुआ, वह आधुनिक डाक्टरों द्वारा ही किया गया है क्योंकि आजकल के वैद्यगण यह जानते ही नहीं हैं कि अनुसन्धान किस प्रकार किया जाना चाहिये। अन्य प्रत्येक विज्ञान में, सभी प्राकृतिक विज्ञानों में, हम आगे बढ़ रहे हैं। और आधुनिक तरीक़ों को अपना रहे हैं। केवल इसी विज्ञान के सम्बन्ध हम लोग शताब्दियों पीछे क्यों जाना चाहते हैं ? लोग इस चीज़ के पक्ष में नहीं हैं और मैं उनको पीछे नहीं ढकेल सकती हूं। आजकल वैद्यों की क्या दशा है ? मद्रास की स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक और वहां के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वे सभी लोग जो आयुर्वेद में तथा आधुनिक औषधि के मूल विज्ञानों में प्रशिक्षित होते हैं, अर्हता प्राप्त करने पर, आधुनिक औषधियों का प्रयोग करते हैं। जो इस प्रकार प्रशिक्षित नहीं होते हैं वे पेनीसिलीन, क्लोरोमाइ-सिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन आदि जैसी औषधियों का अंडबंड प्रयोग करते हैं, जिस से लोगों को बहुत जोखिम रहता है क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि शरीर पर इन औषधियों की प्रतिक्रिया क्या होती है। यदि आप उन्हें इन औषधियों का प्रयोग करना सिखा दें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

होम्योपैथों की मैं ने सहायता करने की कोशिश की। परन्तु वे आपस ही में झगड़ रहे हैं। छः या नौ सप्ताह के पत्र व्यवहार द्वारा पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद डाक्टर बन बैठने वाले लोगों को मान्यता देना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

डा० जयसूर्य : तीन वर्ष के जिस पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई थी, उस के बारे में क्या हुआ ? आप ने उसे पांच वर्ष कर दिया है।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ने उस की सिफ़ारिश नहीं की। होम्योपैथ डाक्टरों की एक समिति ने एक समाधान ढूंढा है, परन्तु वे आपस ही में लड़ रहे हैं, क्योंकि वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि किस संस्था को बढ़ावा दिया जाये। अतः मैंने इस मामले को सम्बन्धित राज्य-

सरकार के पास भेज दिया है। संसार के अन्य देशों में जो सब से अच्छी चीज़ें हैं हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संग्राम में भारत पीछे नहीं रह सकता है। औषधि विज्ञान की प्रगति सम्बन्धी संघर्ष में हम पीछे नहीं रह सकते हैं। मिश्र, ईरान, ईराक़, इंडोनेशिया जैसे संसार के अन्य देश आधुनिक औषधि प्रणाली को अपना चुके हैं। भारत ही इस मामले में पीछे क्यों रहे। परन्तु आयुर्वेद की देन को मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं बशर्तेकि वह वैज्ञानिक हो। मैं चाहती हूं कि वैद्य लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर के अपना अनुसन्धान कार्य करें। आयुर्वेद की एक हितैषी के रूप में, मैं फिर यह कहती हूं कि आयुर्वेद को स्नातकोत्तर तक ऊपर उठाने से ही वह आधुनिक औषधि को कोई अंशदान दे सकता है। आधुनिक औषधि के द्वार खुले हुए हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि आयुर्वेद पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। बहुत से राज्यों में वैद्य लोग आयुर्वेद के प्रयोग कर रहे हैं। इस दिशा में जहां कहीं भी अच्छा काम होता है, हम उसे सहायता देते हैं। योजना आयोग ने भी इन प्रयोजनों के लिये कुछ धन अलग रखा है। जिस का उपयोग किया जा सकता है। परन्तु वह उपयोग अनुचित नहीं होना चाहिये।

समय नहीं है, अन्यथा मैं स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कुछ और प्रश्नों का भी उत्तर देती। मैं इस बात से पूर्णरुपेण सहमत हूं कि हमें स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिये। इस वर्ष से हमारे पास एक ब्यूरो है, जो स्कूलों को हमारी पुस्तिकायें, पोस्टर आदि भेजता है, ताकि विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा मिल सके।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : देहली स्टेट के स्वीपर्स की पोजीशन के बारे में आप ने क्या तय किया; उन के बारे में आप ने क्या पालिसी अख्तियार की है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं आप का सवाल नहीं समझी, दिल्ली स्वीपर्स इस में कैसे आ जाते हैं, मुझे मालूम नहीं है।

श्री पी० एन० राजभोज : देहली स्टेट के स्वीपर्स ने फास्ट किया था, आप ने उनसे फास्ट वापस लेने के लिये कहा था और आप ने वचन दिया था कि.....

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : स्वीपर्स इस में कैसे आ गये ?

राजकुमारी अमृत कौर : यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत है, तो मैं उन से अनुरोध करूंगी, कि वह मुझ से मिलें और बातचीत करें ताकि मैं आवश्यक उत्तर दे सकूं। परन्तु यहां पर इस समय यह बात बिल्कुल असंगत है।

सदन से मेरा सविनय अनुरोध है कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों की मंजूरी दे दे।

खेलकूद सम्बन्धी एक नये प्रश्न को उठाने के लिये मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य की बहुत आभारी हूं। स्वयं मुझे भी इस सम्बन्ध में बहुत दिलचस्पी है। इस सम्बन्ध में मैं ने थोड़ा बहुत काम आरम्भ किया है और भविष्य में और अधिक कार्य करने की आशा करती हूं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या ४८, ४९, ५०, ५१ तथा १२५ मतदान के लिए प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं।

सभापति द्वारा मांग संख्या १, २, ३, ४ तथा ११० सदन में प्रस्तुत की गई।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	६६,१९,०००
२	उद्योग	१३,११,८०,०००
३	वाणिज्यिक सूचना एवं आंकड़े	४६,८८,०००
४	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	४०,१५,०००
११०.	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	१९,७७,२८,०००

यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१	श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर)	राष्ट्रीय हित में जूट उद्योग पर उचित नियंत्रण करने में असफलता	१०० रुपये
१	श्री नम्बियार (मयूरम)	बहुत सी कपड़ा मिलों, कच्चे रेशम के कारखानों, जूता तथा साबुन के छोटे छोटे उद्योगों का बन्दी हो जाना	१०० रुपये
१	श्री नम्बियार	निर्यात नीति	१०० रुपये
१	श्री दशरथ देव (त्रिपुरा–पूर्व)	अन्ननास के भाड़े में कमी	१०० रुपये
१	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के छोटे छोटे दुकानदारों तथा व्यापारियों को उचित व्यापार ऋण देने में असफलता	१०० रुपये
१	श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल)	बीड़ी मशीन इत्यादि के उत्पादन को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१	श्री वी० पी० नायर	भारत में विदेशी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थान	१०० रुपये
१	श्री वी० पी० नायर	सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति के राष्ट्र विरोधी परिणाम	१०० रुपये
१	श्री वी० पी० नायर	करघा बुनकरों के भयानक कष्ट तथा करघा उद्योग की बुरी स्थिति	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१	श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट)	तम्बाकू विषयक निर्यात तथा आयात नीति	१०० रुपये
१	श्री तुषार चटर्जी	जूट उद्योगों में श्रम स्थिति	१०० रुपये
१	श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा	करघा कर्मचारियों तथा कपड़ा-मिलों के कर्मचारियों के हितों का समाधान	१०० रुपये
१	श्री कान्तन नायर	नारियल की जटा, कालीमिर्च, नारियल तथा काजू के मूल्यों को स्थिर तथा उचित बनाये रखने में असफलता	१०० रुपये
१	श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण–पूर्व)	स्वदेशी उद्योग तथा व्यापार के लाभ के लिए बनाई गई प्रशुल्क नीति को अपनाने में असफलता	१०० रुपये
१	श्री साधन गुप्त	साम्राज्यीय अधिमान का जारी रखा जाना	१०० रुपये
१	श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर)	उद्योग के हित में औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम को काम में लाने में असफलता	१०० रुपये
१	श्री के० के० बसु	भारतीय साथों के होते हुए विदेशी साथों द्वारा कारखाने स्थापित करने की आज्ञा देने की नीति	१०० रुपये
१	श्री के० के० बसु	जूट, रुई, तथा अन्य उद्योगों में प्रस्तावित पुनर्नवीकरण के फलस्वरूप काफ़ी मात्रा में बेकारी	१०० रुपये
१	श्री के० के० बसु	उन वस्तुओं के आयात पर जिनकी खपत के लिए भारतीय निर्माताओं को उचित स्थान नहीं मिलता है, पारिमात्रिक प्रतिबन्ध लगाने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१	श्री के० के० बसु	विम्को के भारी लाभों को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१	श्री के० के० बसु	कागज़/उद्योग और विशेषत: टीटागढ़ कागज़ कारखाने के अत्यधिक लाभ	१०० रुपये
१	श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद)	बड़े पैमाने के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा समाजीकरण	१०० रुपये
१	श्री माधव रेड्डी	कम मूल्य की छोटी मशीनों में सुधार करने एवं उन का आविष्कार करने सम्बन्धी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक गवेषणा ब्यूरो की स्थापना करना	१०० रुपये
१	श्री केलप्पन (पोन्नानी)	कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन तथा पर्याप्त सुरक्षा देने में असमर्थता	१०० रुपये
१	श्री केलप्पन	सरकार की असहायक व्यापारिक नीति	१०० रुपये
१	श्री बूबराघसामी	निर्यात तथा आयात सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
१	श्री जी० डी० सोमानी (नागौर–पाली)	प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता	१०० रुपये
१	श्री जी० डी० सोमानी	नियंत्रित वस्तुओं के लिए अलाभकारी मूल्य निश्चित करने की नीति	१०० रुपये
१	श्री जी० डी० सोमानी	विभिन्न उद्योगों में अभिनवीकरण करने में असफलता	१०० रुपये
१	डा० अमीन (बड़ौदा पश्चिम)	सामान्य आर्थिक नीति	१०० रुपये
१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कुटीर उद्योगों की उन्नति करने में असफलता	१०० रुपये
१	श्री पी० एन० राजभोज	कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड का कार्य एवं रचना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२	श्री टी० के० चोधरी (बरहानपुर)	छोटे छोटे उद्योगों और दस्तकारी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की भाण्डारक्रय की नीति का पुनर्नवीकरण करने में असफलता	१०० रुपये
२	श्री कान्तन नायर	भारतीय कुंभकारी, शीशा तथा बिजली उद्योगों को सुरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२	श्री के० के० बसु	कुटीर उद्योगों के उत्पादन की खपत के लिए बाजार ढूंढने तथा मूल्य सम्बन्धी संरक्षण देने में असमर्थता	१०० रुपये
२	श्री एम० एस० गुपादस्वामी (मैसूर)	रेशम के कीड़े पालने के उद्योग को सहायता देने में असफलता	१०० रुपये
२	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	काफी उद्योग की समस्याओं को सुलझाने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
२	श्री केलप्पन	हाथ करघा बुनकरों की बुरी दशा	१०० रुपये
२	श्री केलप्पन	साबुन, तथा रोशनाई सरीखे भारतीय तथा विदेशी संस्थानों सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
२	श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम)	औद्योगिक विकास की नीति	१०० रुपये
२	श्री तुलसीदास	कुटीर तथा छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
२	डा० अमीन	देश की आर्थिक स्थिति में छोटे छोटे उद्योगों का भाग	१०० रुपये
२	श्री शिवमूर्तिस्वामी	हाथ करघा बुनकरों तथा हाथ करघा उद्योग की असंतोषजनक स्थिति	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सभी कपास उत्पादक ज़िलों में छोटे पैमाने पर तथा सहकारी आधार पर कताई मिलों की स्थापना करना	१०० रुपये
२	श्री शिवमूर्ति	बड़ी बड़ी मिलों का राष्ट्रीयकरण करके मिल तथा हाथ करघा द्वारा उत्पादित वस्त्रों में होने वाली प्रतिस्पर्धा का निवारण	१०० रुपये
२	श्री शिवमूर्ति	कपास में गलत श्रेणी कर के तथा मिल मालिकों द्वारा बढ़ाये गये सूत के ऊंचे दामों के फलस्वरूप हाथ करघा उद्योग के कपड़े का अत्यधिक मूल्य	१०० रुपये
२	श्री शिवमूर्ति स्वामी	पूंजीगत वस्तुओं के बनाने के लिये मूल उद्योगों की उन्नति करने में पंचवर्षीय योजना की असफलता	१०० रुपये
२	श्री पी० एन० राजभोज	कुटीर तथा छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने में असफलता	१०० रुपये
२	श्री पी० एन० राजभोज	चमड़ा तथा चमड़ा रंगने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने में असफलता	१०० रुपये
३	श्री साधन गुप्त	सेवायुक्त विदेशी कर्मचारियों के बारे में आंकड़े न देने के संबंध में बंगाल कामर्स चैम्बर द्वारा अपने सदस्यों को दिये गये आदेश के बारे में उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में असफलता	१०० रुपये
३	श्री वी० पी० नायर	व्यापार एवं वाणिज्य के सम्बन्ध में समुचित आंकड़े इकट्ठा करने तथा उन को बनाये रखने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
३	श्री,पी० नायर	प्रबन्ध अभिकरण वाले सार्थों के सम्बन्ध में उचित आंकड़े रखने में असमर्थता	१०० रुपये
३	श्री के० के० बसु	वाणिज्यिक आंकड़े प्राप्त करने के अपर्याप्त प्रबन्ध	१०० रुपये
३	श्री के० के० बसु	औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापारिक आंकड़ों के कार्यकरण का ढंग	१०० रुपये
३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कृषि सम्बन्धी उत्पादनों के बाज़ार मूल्यों में अवांछित घटबढ़ पर नियंत्रण	१०० रुपये
३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	हाथ करघा उत्पादनों के लिए देश में तथा देश के बाहर उपयुक्त बाज़ार की तलाश करने में सरकार की असमर्थता	१०० रुपये
३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सभी आंकड़ों का सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन	१०० रुपये
४	श्री के० के० बसु	विदेशियों को एकस्व मार्का की स्वीकृति	१०० रुपये
४	श्री के० के० बसु	व्यापार चिन्ह समिति, सट्टा बाज़ार आयोग, तथा जूट जांच आयोग का कार्यकरण	१०० रुपये
४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सूत को श्रेणीबद्ध करने तथा उस के मूल्य के जालसाजी कर के बढ़ाने को रोकने में कपड़ा जांच आयोग की लापरवाही तथा अकार्यकुशलता	१०० रुपये
४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कुछ ऐसे विभागों को जिन का कार्य अनावश्यक एवं फिर से वही कार्य करना, तथा बेकार कार्य करना है समाप्त करना	१०० रुपये
११०	श्री के० के० बसु	विदेशियों की सहायता से असैनिक विस्फोट कारखाने की स्थापना	१०० रुपये

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने पिछले वर्ष में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रशंसनीय उन्नति की है । इस वर्ष में उत्पादन की बहुत सी कठिनतम बातों को क्रियान्वित किया गया है । पूंजी में भी काफ़ी वृद्धि हुई । वर्तमान उद्योगों में काफ़ी विकास हुआ है तथा नये उद्योग भी काफ़ी बढ़े हैं । इन विकास कार्यों में पूंजी भी गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अधिक लगाई गई है । हमारे देश की राष्ट्रीय आय कनाडा, अमरीका ब्रिटेन की अपेक्षा भी कम है ।

हमारा औद्योगिक विकास आज १५–२० वर्ष पुरानी नीव पर आधारित है । गत कुछ वर्षों में इतना औद्योगिक विकास होते हुए भी कपड़ा, चीनी, जूट, इस्पात इत्यादि के उस उच्चतम उत्पादन तक हम अभी नहीं पहुंच सके हैं जो कि आज से कुछ वर्ष पूर्व हम कर चुके हैं । इस से प्रकट होता है कि अभी औद्योगिक विकास के लिए बहुत कुछ करना है । परिवार बढ़ रहे हैं, उन की आकांक्षायें उन की महत्वाकांक्षायें बढ़ रही हैं, अतः जब तक और उद्योग तथा बड़े बड़े उद्योग हम स्थापित नहीं करेंगे तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती है । यदि हमें उन्नति करनी है तो उद्योगों में लगाई जाने वाली पूंजी में वृद्धि करनी होगी जिस के लिए प्रत्येक व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है ।

कोई भी देश ऐसा नहीं है जिस ने विदेशों से सहायता लिए बिना उन्नति की हो । किन्तु साथ ही मैं यह मानता हूं कि विदेशी सहायता से यह अभिप्राय नहीं है कि वह देश हमारे देश के विकास पर अपना आधिपत्य जमा लें । ऐसा किये जाने की अनुमति हमें नहीं देनी चाहिये । अतः ऐसा निश्चय कर लेने के बाद ही हमें विदेशी सहायता लेनी होगी, क्योंकि बिना विदेशी सहायता के बेकारी जीवन यापन का निम्न स्तर स्तर एवं देश की पिछड़ी अनार्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है।

अनुज्ञापन समिति ने एक दो प्रार्थना पत्र यह कह कर ठुकरा दिये थे कि उन क्षेत्रों में परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं थी । तो इस का अभिप्राय यह हुआ कि वे क्षेत्र जहां खनिज पदार्थ तो बहुत हैं किन्तु परिवहन की व्यवस्था समुचित नहीं है, तो उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता है । अतः इस आधार पर कि वहां परिवहन की कमी है औद्योगिक विकास को रोकना नहीं चाहिये और औद्योगिक विकास के लिए अनुमति देनी चाहिये एवं पविहन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना चाहिये ।

डा० लंकासुन्दरम् ने एक कटौती प्रस्ताव में कहा है कि एक सम्पूर्ण तथा सम व्यापारिक नीति के न होने के फलस्वरूप ही हमारे विदेशी व्यापार में कमी हुई है । यह सत्य है कि खाद्यान्न, कपास जूट आदि के कम आयात के कारण हमारे आयात व्यापार में कंमी हुई है । कपास तथा जूट से बने सामान के निर्यात में भी थोड़ी सी कमी हुई है । अतः मैं तो यह कहूंगा कि कोई सम्पूर्ण तथा समग्र व्यापार नीति के न होने के कारण तथा व्यापार की कुछ शर्तों के फलस्वरूप, जो कि हमारे देश के विपरीत पड़ती थीं, हमारे देश के व्यापार में कमी हुई है । अतः हमें यह ध्यान रखना होगा कि व्यापार की शर्तें हमारे विरुद्ध न जायें । अतः माननीय मित्र को तो इस बात की प्रशंसा करनी चाहिये थी कि हमारी सरकार ने आत्म निर्भर होने के लिए ही खाद्यान्न तथा जूट आदि के आयात में कमी की है । सरकार

को तो यह प्रयत्न करना चाहिये कि किसी उद्योग विशेष में व्यक्तियों की बेकारी न बढ़े तथा वह उद्योग अवनति की ओर न जाये। अतः अपनी आयात निर्यात समस्या को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिये कि उस का प्रभाव हमारी व्यापारिक शर्तों तथा जीविका, एवं उस विशेष क्षेत्र की आय पर कैसा पड़ रहा है।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने वस्तुओं के आयात पर धीरे धीरे आयात शुल्क बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया है और आयात की जाने वाली वस्तुओं में कमी करनी शुरू कर दी है। जहां वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने ऐसी उदारता से कार्य लिया है वहां खेद है कि प्रशुल्क आयोग देश के विकास के बारे में बहुत ही संकुचित धारणा बनाये हुए है। प्रशुल्क आयोग कारखाने का मूल्य तथा भाड़े को मिला कर तटागत मूल्य निश्चित करता है। अतः प्रशुल्क आयोग को यह बता देना चाहिये कि हमारे उद्योगों को सुरक्षण देने की अपेक्षा उसे सहायतापूर्ण रवैया अपनाना होगा।

प्रशुल्क आयोग सामान्यतः तीन या चार वर्षों के लिए सुरक्षण देता है। किन्तु मेरा निवेदन है कि यह प्रशुल्क आयोग सुरक्षण की अवधि बढ़ायें और यदि इस बीच कोई उद्योग सुचारु रूप से कार्य न करे अथवा सरकार यह समझे कि इस के बारे में पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है तो फिर प्रशुल्क आयोग के लिए यह छूट रहेगी कि वह इस पर स्वयं यथास्थिति पुनर्विचार करे अथवा सरकार के निर्देश के अनुसार पुनर्विचार करे।

यह सदन प्रशुल्क आयोग के काम से बहुत असन्तुष्ट है क्योंकि उस की काम करने की रफ्तार बहुत ही धीमी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को भारतीय कर्मचारी रखने के लिये तय्यार करने में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बड़ा परिश्रम किया है तथा इस कार्य में भारी सफलता मिली है। परन्तु यह तो कुछ भी नहीं है। असली समस्या तो यह है कि हमारे निर्यात तथा आयात के एक बड़े भाग पर विदेशी समवायों का अधिकार है। हमारे आयात का ३० प्रतिशत भाग योरोपीय कम्पनियों के हाथ में है तथा निर्यात व्यापार में उन का भाग १९५१ में ४० प्रतिशत तथा १९५२ में ३३ प्रतिशत था। इस का सब से बड़ा कारण यह है कि अधिकांश विदेशी विनिमय बैंक यूरोपियनों के हाथ में हैं, हमारे निर्यात का बीमा भी अधिकतर विदेशी बीमा कम्पनियों के द्वारा ही किया जाता है, इस के अतिरिक्त नौ परिवहन का अधिकांश भाग भी उन्हीं के हाथ में है। अब समय आ गया है कि हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री शीघ्र ही ऐसा कोई उपाय करें जिस से कि हमारा व्यापार विदेशियों के चंगुल से मुक्त हो सके।

श्री केलप्पन : व्यापार तथा उद्योगों के सम्बन्ध में, वह चाहे आयात व्यापार हो या निर्यात व्यापार हो अथवा कोई नया उद्योग हो, जो भी नीति सरकार द्वारा अपनाई जाये उस की कसौटी यह होनी चाहिये कि उस से हमारी जनता को अधिक कार्य मिलेगा। या जो लोग काम पर लगे हैं वह भी बेकार हो जायेंगे। परन्तु इस सरकार की नीति क्या है यह मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। मैं यह आज तक नहीं समझ पाया हूं कि सरकारी नीति तथा हमारे देश की आवश्यकताओं में किस प्रकार का सामंजस्य है। देश की बेकारी दूर करने का न कोई उपाय ही ढूंढा गया

[श्री केलप्पन]

है, वरन् मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इस समस्या को हल करने का कोई ज़ोरदार प्रयत्न भी नहीं किया गया है ।

सरकार कहती है कि वह खादी तथा करघा दोनों की सहायता कर रही है तथा वह इन की सहायता करने के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर रही है । परन्तु खादी की सहायता किस प्रकार की जानी चाहिये तथा देश के आर्थिक ढांचे में खादी तथा करघे का क्या स्थान है इस सम्बन्ध में हमारे तथा माननीय मंत्री के विचारों में मौलिक भेद है । माननीय मंत्री का विचार है कि मिल तथा करघा उद्योग में परस्पर कोई संघर्ष नहीं है । खादी, करघा या मिल उद्योग का स्थान नहीं ले सकती है । खादी केवल इतना कर सकती है कि उन लोगों की आय में कुछ वृद्धि करे जिन की आवश्यकतायें उन की आमदनी से अधिक हैं । उन का यह भी विचार है कि यह कहना ग़लत होगा कि करघा उद्योग को संहायता देने के लिये मिलें बन्द कर दी जायें । देश में लगभग ४।। करोड़ खेतिहर मज़दूर हैं जो भूमिहीन हैं तथा जिन के पास पूरे समय का काम नहीं है । भूमि वाले कृषकों में से भी बहुत से ऐसे हैं जिन की आय बहुत अपर्याप्त है । इसी प्रकार सरकारी दफ़तरों तथा अन्य स्थानों में कितने ही कर्मचारी ऐसे हैं जिन की आय पर्याप्त नहीं है । यदि यह सब सूत कातने लगें तो इतना कपड़ा तय्यार हो सकता है जो हमारे राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा कर सकता है । यदि यह सच है तो मिलों का स्थान कहां रह जाता है । परन्तु यह कहना कि मिलों तथा करघा उद्योग में प्रतिद्वंदिता है अपनी अज्ञानता का परिचय देना है ।

परन्तु माननीय मंत्री का विचार है कि यह सहायता तो एक अस्थायी निदान के रूप में है । उन का कहना है कि सरकार की नीति तो देश का औद्योगीकरण करने की है । परन्तु मेरा कहना है कि वास्तविकता इस के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय के लिये हमारे मिल उद्योग उन्नति करें, परन्तु जब अन्य पिछड़े हुए देश भी अपना औद्योगीकरण कर लेंगे तो हमारे विदेशों के बाज़ार समाप्त हो जायेंगे । तब हमारे उद्योगों को देशी बाज़ार पर ही निर्भर रहना होगा । उस समय यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या इन यंत्रीकृत उद्योगों को जो मनुष्यों की बहुत ही सीमित संख्या को काम तथा उत्तम मज़दूरी देते हैं, प्रोत्साहन दिया जाये अथवा कुटीर उद्योगों को प्रारम्भ किया जाये जिस से कि सभी को काम मिल सके और साथ ही उपभोक्ताओं की मांगें भी पूरी की जा सकें ।

मैं आशा करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी देखी होगी जो दिल्ली में हो रही है । उन्हों ने देखा होगा कि हमारे कुटीर ग्रामोद्योगों ने बहुत उन्नति की है । परन्तु वे दिन प्रति दिन मरणासन्न स्थिति को प्राप्त होते जा रहे हैं जिस का कारण सरकार की वर्तमान व्यापार तथा उद्योग सम्बन्धी नीति है ।

विभिन्न उद्योगों की स्थिति में गत पचास वर्षों में—१९०१ से १९५१ तक—जो परिवर्तन हुआ है उस के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े मंत्रालय ने तथा खादी तथा ग्रामोद्योग

बोर्ड ने छोटी छोटी पुस्तकों में दिये हैं जो इस प्रकार हैं :—

उद्योग	बड़े उद्योगों में काम पाने वालों की संख्या	कुटीर उद्योगों में काम करने वाले जो बेकार हो गये
ऊन	२७,०००	२,००,०००
रेशम	१८,०००	२,००,०००
लकड़ी काटना तथा बढ़ईगीरी	२५,०००	५,४०,०००
धान कटाई इत्यादि	७२,०००	१२,००,०००
रुई की कताई तथा बुनाई	७,५०,०००	२३,००,०००
चमड़ा तथा रंगाई	३६,०००	१०,५०,०००
रुई के बिनौला निकालना इत्यादि	९०,०००	२,००,०००
मिट्टी तथा चीनी के बर्तन बनाना	३६,०००	८,००,०००
*तेल निकालना (कोल्हू)	४५,०००	३,००,०००

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि कुटीर उद्योग तथा मशीनी उद्योग एक ही क्षेत्र में काम करते रहे तो कुटीर उद्योग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिये यह कहना ग़लत है कि कुटीर उद्योगों में कोई संघर्ष नहीं है। इसलिये यदि माननीय मंत्री मिलों को एकदम बन्द करने के लिये तय्यार नहीं हैं तो इन को चाहिये कि अभी कम से कम करघे के लिये क्षेत्र रक्षित कर दें तथा आगे चल कर निर्णय करें कि मिल का कपड़ा केवल निर्यात किया जा सकेगा तथा देश की अन्दर की खपत के लिये काम में नहीं लाया जायेगा। विदेशी कपड़े का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया जाना चाहिये।

जहां तक अभिनवीकरण का सम्बन्ध है मैं इस के पक्ष में हूं क्योंकि विश्व बाज़ार में यदि हमें अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करनी है तो अभिनवीकरण के द्वारा लागत को घटाना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि अभिनवीकरण के परिणामस्वरूप कितने ही मज़दूर बेकार हो जायेंगे, परन्तु किया क्या जाये। उन के लिये कोई अन्य काम ढूंढना पड़ेगा। इसीलिये तो मैं कहता हूं कि यदि बेकारी को दूर करना है तो आप को छोटे पैमाने के उद्योगों की तथा कुटीर उद्योगों की शरण लेनी पड़ेगी। बड़े पैमाने के उद्योगों का क्षेत्र तो केवल भारी रसायन, लोहा, मोटर इत्यादि तक ही सीमित रखा जाना चाहिये। खादी के सम्बन्ध में महात्मा जी तथा मंत्रियों के विचारों में बहुत अन्तर है। मंत्रियों का विचार है कि खादी तो केवल बेकार समय का उपयोग करने वाला एक उद्यम् है। परन्तु महात्मा जी का विचार था कि प्रत्येक ग्राम का परिमाप किया जाये। ऐसी वस्तुओं की सूची तय्यार की जाये जो स्थानीय रूप से बिना बाहर की सहायता लिये बनाई जा सकती है, जैसे घानी से निकाला जाने वाला तेल तथा खली, हाथ का कुटा चावल, ताड़गुड़, शहद, खिलौने, चटाइयां, हाथ का बना काग़ज़, गांव का बना साबुन इत्यादि। परन्तु महात्मा जी ने एक ही भूल की वह यह कि उन्होंने आशा की कि जब कांग्रेसी मंत्री पदभार ग्रहण करेंगे तो वे उन की बताई राह पर चलेंगे। इसलिये हमें चाहिये कि हम सोच समझ कर निर्णय करें

*यह आंकड़े ३० वर्ष के—१९२१-१९५१—हैं

[श्री केलप्पन]

तथा जनता को काम देने के लिये कुटीर उद्योगों का सहारा लें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व) : वाणिज्य तथा उद्योग इतना विस्तृत विषय है कि मैं कुछ मिनट में सारे विषय पर नहीं बोल सकती हूं इसलिये मैं अपने को केवल सूती कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रखूंगी ।

सूती कपड़े का उद्योग भारत का सब से बड़ा उद्योग है जिस की पूंजी, प्रबन्ध तथा नियंत्रण सभी भारतीय हैं तथा भारतवासियों के हाथों में हैं । इस के द्वारा लगभग ७,५०,००० मज़दूरों को काम मिलता है, भारत में उत्पन्न होने वाली प्रायः समस्त रुई की खपत हो जाती है तथा यह लगभग २० लाख बुनकरों को कपड़ा बनाने के लिये सूत उपलब्ध करता है ।

इतना सब होने पर भी इस उद्योग की भी कुछ समस्यायें हैं । विभाजन के पश्चात् रुई का संभरण भी एक समस्या हो गया था क्योंकि पंजाब और सिन्ध के रुई उगाने वाले क्षेत्र हम खो चुके थे । परन्तु, भारतीय केन्द्रीय रुई समिति के प्रयासों के फलस्वरूप अब हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम देश की कपड़े की आवश्यकता का ७५ से ले कर ८० प्रतिशत तक भाग पूरा कर लेते हैं ।

तय्यार माल की बिक्री का जहां तक सम्बन्ध है अधिकांश देशों में जापान भारत का सब से बड़ा प्रतियोगी बन कर आ गया है । इण्डोनेशिया, मलाया, स्याम, ईरान तथा सूडान, हर स्थान में जापानी कपड़े का निर्यात तथा खपत बढ़ रही है तथा भारतीय कपड़े का निर्यात तथा उस की खपत घट रही है ।

१९५३ तथा १९५४ के आरम्भ में यद्यपि उत्पादन में बहुत भारी उन्नति हुई है फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारी मिलों की मशीनों की हालत बहुत खराब हो गई है । प्रायः ९० प्रतिशत मशीनें २५ वर्ष पुरानी हैं ।

गत महायुद्ध के पूर्व देशी बाज़ार आयात किये हुए कपड़े से पटा पड़ा था । इसलिये देशी उद्योग को इतना लाभ प्राप्त करने का अवसर नहीं था जो मिलों की मशीनों के अभिनवीकरण के लिये पर्याप्त होता । जैसा विशेष प्रशुल्क बोर्ड ने १९३६ में अपनी रिपोर्ट में बताया था, कितनी ही मिलों को आयात किये हुए कपड़े के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ी तथा अधिक दिनों से जमी हुई ऐसी पुरानी भारतीय मिलों के साथ मुक़ाबला करना पड़ा जिनकी स्थिति अवक्षयण तथा रक्षित निधियों के अधिक जमा हो जाने के कारण, अपेक्षाकृत अच्छी थी । इस के लिये लागत घटानें के फेर में उन को अपनी मिलों में सात सात घण्टे की तीन तीन पालियां चलानी पड़ी । फिर भी बहुत सी मिलें इतना भी लाभ नहीं प्राप्त कर सकीं कि अवक्षयण भत्ता निकाल सकतीं या ऋण पर लिये हुए रुपये का ब्याज भर सकतीं ।

यह ठीक है कि गत महायुद्ध में इस उद्योग की परिस्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ । ऐसे एकक् भी, जिन की जीवन योग्यता १९३० के पश्चात् आने वाली मन्दी ने खतरे में डाल दी थीं, अपनी कमज़ोरी को दूर कर सके तथा किसी हद तक आर्थिक स्थिरता भी प्राप्त कर सके । परन्तु अभिनवीकरण का पिछड़ा हुआ काम फिर भी पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि पूंजी गत वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ गया था । इसी कारण वे युद्ध के बाद भी अपनी पुरानी तथा घिसी घिसाई मशीनों को बदलने का काम नहीं कर पाई हैं ।

योजना आयोग का विचार है कि इस उद्योग में १५० ऐसे अनार्थिक एकक् हैं जिन को

जीवन योग्यता प्राप्त करने के लिये सहायता की आवश्यकता है। आयोग का यह विचार बिल्कुल ठीक है कि हमारी औद्योगिक नीति यह होनी चाहिये वर्तमान संयंत्रों की कार्य कुशलता अभिनवीकरण द्वारा बढ़ाई जाये।

सूती वस्त्र उद्योग की कार्यकारिणी सभा ने गत वर्ष प्रकाशित की अपनी रिपोर्ट में भी यह स्वीकार किया है कि मिल सम्बन्धी उपकरणों के बारे में आसंचयन हुआ है और अब इस समय नवीकरण के लिये अपेक्षित नई पूंजी को प्राप्त करना संभव नहीं है। कार्यकारिणी दल ने इस बात पर आग्रह किया है कि उपभोक्ताओं के हित में, देश की सामान्य अर्थ व्यवस्था के हित में तथा उद्योग में सेवा-युक्त श्रमिकों के हित में यही है कि पुरानी तथा टूटी फूटी मशीनों तथा संयंत्रों के नवीकरण तथा प्रतिस्थापन का कार्य प्रारम्भ किया जाये।

यह स्पष्ट है कि यह समस्या बहुत गंभीर है, परन्तु उद्योग के पास इस का निराकरण करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। इस कार्य के लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी इस के लिये भी कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं, परन्तु बम्बई तथा अहमदाबाद में उद्योग की आवश्यकताओं का एक मोटा अनुमान लगाया गया है। इस के अनुसार केवल बम्बई नगर की सूती वस्त्र मिलों के नवीकरण के लिये ७२ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अहमदाबाद के लिये यह संख्या ५५ करोड़ रुपया है। यह अनुमान मूल लागत के आधार पर किये गये हैं और आज मूल्य २.७ गुना बढ़ गये हैं। जहां तक हमें ज्ञात है उपकरणों के मूल्य ७.८ गुना बढ़ गये हैं।

मुझे विश्वास है कि सरकार इस समस्या के विस्तार तथा गंभीरता के प्रति सचेत है परन्तु तो भी सरकार ने उदारता से काम नहीं लिया है। इस सम्बन्ध में मैं सर्व प्रथम उद्योग के लिये स्वीकृत अवक्षयण छूट का उल्लेख करूंगी। जो उद्योग लाभ कमा रहे हैं, उन के लिये विधियां इकट्ठी करना ठीक है, और अवक्षयण छूट की वर्तमान की दर के अनुसार उन के लिये अपने उपकरणों का नवीकरण करना संभव है। परन्तु कितने उद्योग इतना अधिक लाभ कमा रहे हैं? अधिकांश सूती वस्त्र मिलें सीमान्त एकक हैं और मेरे विचार से उन को जो आवक्षयण दर दी जाती है वह उचित नहीं है। मेरे विचार से अवक्षयण की दर निश्चित करने में मूल लागत को नहीं बल्कि प्रतिस्थापन की वास्तविक लागत का ध्यान रखना चाहिये। मैं किसी नई बात का सुझाव नहीं दे रही हूं। फ्रांस में यह प्रणाली है कि अवक्षयण का चालू प्रतिस्थापन लागत से समन्वय करने के लिये स्थिर परिसम्पत् सन्तुलनपत्र मूल्य बढ़ा कर लिखा जाता है।

जहां तक सीमान्त एककों पर कर भार का प्रश्न है, उसे इस निश्चित शर्त पर कम किया जा सकता है कि अवितरित लाभों को करारोपण से विमुक्ति तभी दी जानी चाहिये जब कि उस का उपभोग संयंत्र के नवीकरण तथा प्रतिस्थापन के लिये किया जाये। सरकार की आयात नीति उद्योगों के लिए सहायक नहीं है। न जाने कितने आयात प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं। अब समय आ गया है कि उन को हटा दिया जाये। संयुक्तराज्य अमरीका में तथा अन्य कई देशों में पूंजी वस्तुओं के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे सुझावों पर समुचित ध्यान देगी।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं भारत में विदेशी पूंजी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। साम्यवादी दल के पांच सदस्य कटौती प्रस्तावों द्वारा यह चाहते हैं कि सरकार विदेशी स्वामित्व के औद्योगिक और वाणिज्यिक समवायों को अपने लाभ भारत में ही रखने और पुनः लगाने के लिए

[श्री वी० बी० गांधी]

वाधित करे । इस विषय में हमारी नीति क्या है ? मेरे विचार में हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम भारत में लगी हुई विदेशी पूंजी पर नये प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते । हम अपनी वर्तमान नीति को जो कि युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाने और उचित लेनदेन की नीति है, जारी रखना चाहते हैं ।

परन्तु क्या हमें इस नीति से विदेशी पूंजी पर्याप्त मात्रा में मिल सकी है ? आंकड़े देखने से ज्ञात होगा कि हमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है ।

हम ने देश के विकास के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है और इस के लिए हम अवश्य विदेशी पूंजी से लाभ उठा सकते हैं । निस्सन्देह एक देश विदेशी पूंजी की सहायता के लिए बिना ही अपने विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकता है । किन्तु इस परिस्थिति में बहुत परिश्रम और प्रतीक्षा करनी पड़ती है । आजकल की स्थिति को देखते हुए, हमारे लिए लोगों के कष्टों और गरीबी को अनावश्यक रूप से अधिक देर तक जारी रहने देना, विशेषकर जब कि देश एक दूसरे को सहायता दे सकते हैं, उचित नहीं होगा ।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस देश में विदेशी पूंजी को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है ? यदि सरकार की वर्तमान नीति को ध्यान में रखा जाये, तो इस का उत्तर नकारात्मक होगा । हमारी सरकार केवल राष्ट्रीय हित के उद्योगों के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का प्रयत्न करती है और उन समवायों में जो कि केवल वित्तीय या वाणिज्यिक या व्यापारिक हो, विदेशी विनियोगों की आज्ञा नहीं देती । इस ने सदा इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसे सब मामलों में जिन में भारत में विदेशी पूंजी लगाई गई हो स्वामित्व और नियन्त्रण अधिकांशतया भारतीय हाथों में हो । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इस बात के लिए भी प्रयत्न किया है कि भारतीय कर्मचारियों को विदेशी औद्योगिक और वाणिज्यिक समवायों में प्रशिक्षण दिलाया जाये । इस सम्बन्ध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने भारतीयकरण के विषय में जो रवैया अपनाया है और इस के जो परिणाम निकले हैं, वे बहुत सन्तोषजनक हैं ।

हमें स्मरण रखना चाहिये कि विश्व में आजकल ऐसे देश बहुत कम हैं, जो कि दूसरे देशों में अपनी पूंजी लगा सकते हैं । इस से विपरीत ऐसे अविकसित देश बहुत से हैं जहां यह पूंजी लगाई जा सकती है ।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने अपनी १९५३–५४ की प्रशासनीय रिपोर्ट में जो चित्र खींचा है, उस के लिए वह प्रशंसा का पात्र है ।

श्री वी० पी० नायर : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट में औद्योगिक सम्पन्नता का एक चित्र खींच दिया गया है और विदेशी व्यापार की स्थिरता के बारे में बड़े बड़े दावे किये गये हैं । ये दावे बिल्कुल निरर्थक हैं क्योंकि यदि आप आंकड़ों की जांच करें, तो ज्ञात होगा कि १९५१–५२ में ८६२ करोड़ रुपये का माल आयात हुआ था किन्तु १९५३ के आठ वर्षों में केवल ३८० करोड़ का माल आयात हुआ है । १९५१–५२ में ७०१ करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया था किन्तु १९५३ के आठ मासों में केवल ३३९ करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया । किन्तु इन आंकड़ों से भी यह पता नहीं चलता कि विदेशी एकाधिपत्य वालों ने किस तरह हमारे विदेशी व्यापार को जकड़ रखा है । पिछले वर्ष के मूल्यों की तुलना में इस वर्ष हमें अपने निर्यातों के लिए जो मूल्य प्राप्त हुए हैं

वह बहुत कम हैं । पैट्रोल, औद्योगिक कच्चा माल और बहुत सी अन्य वस्तुओं के आयात के लिए हम ने जो मूल्य दिया है, वह बढ़ता ही रहा है । इस का अर्थ यह है कि अपने निर्यात के लिए हमें जो प्रति एकक मूल्य मिलता है वह कम होता जा रहा है और आयात के लिए जो प्रति एकक मूल्य देना पड़ता है, वह या तो स्थिर रहता है या बढ़ता जा रहा है । मुझे हर्ष होगा यदि माननीय मंत्री आंकड़े दे कर बतला सकें कि ऐसा नहीं है ।

रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मोटे रूप में हमारा व्यापार लगभग वैसा ही रहा है । केवल यही बात रिपोर्ट में सत्य है । यह सरकार नहीं चाहती कि हमारे व्यापार का ढंग बदले ।

मुझे प्रसन्नता हुई है कि रूस के साथ एक व्यापार करार हो गया है । यह करार अच्छा है किन्तु माननीय मंत्री के इस व्यापार को उन्नत बनाने के लिए उपयुक्त होने पर भी इस के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सारा विदेशी व्यापार अंग्रेजी बैंकों के हाथ में है और वे इस में पूरा सहयोग देना नहीं चाहते । इस कारण इस करार के सफल होने की आशा नहीं ।

इस के अतिरिक्त इस करार में एक और चर्चा यह है कि इस में विभिन्न वस्तुओं की मात्रा नहीं बताई गई । आप जानते हैं कि रूस में विदेशी व्यापार पर राज्य का नियन्त्रण है और भारत में यह निजी क्षेत्रों के हाथ में है जिन पर विदेशी हितों का एकाधिपत्य है, जो इस व्यापार करार को नष्ट करने पर तुले हुए हैं ।

'गैट' करार के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत का इस में सम्मिलित रहना एक ऐसा महात्वपूर्ण विषय है जिस के लिए मंत्री महोदय को इस सदन की अनुमति लेनी चाहिए थी । अतः जून १९५५ तक इसे जारी रखने का करार करते समय सदन की अनुमति न ले कर इस का अपमान किया गया है । हमें कच्चे पटसन, पटसन के धागे, कच्चे सन, सरसों अलसी का तेल, अरण्डी का तेल इत्यादि के सम्बन्ध में 'गैट' में सम्मिलित होने से क्या लाभ है । इस के अतिरिक्त मसाले, तम्बाकू, चाय और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं जिन की अधिकांश मात्रा 'गैट' के बाज़ार में नहीं जाती अपितु बाहर विश्व के बाज़ार में जाती है । तो ये सब रियायत देने से क्या लाभ है ? 'आयात में हमें कुछ चीज़ों के आयात पर विशेष रियायत देनी पड़ती है जो कि हमारे उद्योगों के विकास के लिए कभी कभी बहुत हानिकारक होता है । उदाहरण के लिए बाल तथा सैलर बेयरिंग के उद्योग को देखिये जो कि एक संरक्षित उद्योग है ।

क्या सरकार 'गैट' से यह कह सकेगी कि अब अमुक उद्योग हमारे यहां बन गया है, इसलिए हमें उस के सम्बन्ध में अलग हो जाने दीजिये । जिन वस्तुओं पर हमारा एकाधिपत्य है, 'गैट' उन के मूल्यों का नाश कर देता है । वे इस देश में ऐसी वस्तुओं को भी इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं, जिन से हमारे उद्योग बहुत हद तक नष्ट हो जायेंगे । हम देखते हैं कि यदि आप 'गैट' को जारी रखेंगे तो औषधि प्रसाधन सामग्री, टूथपेस्ट और ब्रश इत्यादि के भारतीय उद्योगों के पनपने में निश्चय ही हानि होगी ।

माननीय मंत्री ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि कुछ उद्योगों में पहले की अपेक्षा सब से अधिक उत्पादन हुआ है । मैं इस से इन्कार नहीं करता परन्तु इस से लोगों को क्या लाभ हुआ है ? उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग को लीजिये, इस में सब से अधिक उत्पादन हुआ है, तो क्या इस के परिणामस्वरूप मज़दूरों को अधिक वेतन मिलने

[श्री वी० पी० नायर]

लगा है, क्या सूत के दाम घट गये हैं ? क्या धोतियों और साड़ियों के दाम घट गये हैं ? इस के विपरीत ये दाम कुछ बढ़ ही गये हैं और इस से हमारे लाखों अधनंगे लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ ।

चीनी उद्योग एक संगठित उद्योग है और चीनी का उत्पादन चरम सीमा पर पहुंच चुका है । चीनी के दाम भी हाल ही में इतने अधिक बढ़े जितने पहिले नहीं बढ़े थे । इसमें गन्ना पैदा करने वालों को थोड़ा आना भी अधिक नहीं मिलता । चाय उद्योग में जो मज़दूरी कम कर दी गई थी वह कुछ चाय बागानों में अभी तक लागू है । गत वर्ष चाय निर्यात से बहुत लाभ हुआ था किन्तु उन्हें कोई लाभ नहीं मिला । ऐसा ही सीमेंट, कच्चा लोहा तथा इस्पात उद्योग में हुआ है । उन्होंने भी दाम कम नहीं किये हैं । असंगठित उद्योगों की अप्रयुक्त उत्पादन सामर्थ्य भी अव्यवस्थित रूप में है । मशीनी औज़ारों के उद्योग को ही लीजिये । मशीनी औजार निर्माता संघ के अध्यक्ष ने कहा था कि सरकार ने उससे कुछ नमूने मांगे थे जिन्हें उसने अपने विदेशी परामर्शकों को दिखाया । इन परामर्शकों ने उन में थोड़ा सा अन्तर कर दिया जिससे विदेशों में इनके लिये आर्डर दिये जा सकें । भारत में महीन कामों के लिये भी मशीन और पुर्जे बनाये जा सकते हैं । त्रावणकोर-कोचीन काज उद्योग में पचास हजार मज़दूर स्त्रियां बेकार हैं क्योंकि सरकार ने उचित समय पर कार्यवाही नहीं की । बम्बई के निर्यातकों का इस पर एकाधिकार है । नारियल जटा उद्योग की भी हालत अच्छी नहीं है ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर रक्षित अनुसूचित जातियां) : सभानेत्री महोदया, मैं ने बजट पर जनरल डिस्कशन के अवसर पर बोलते हुए भारत की उद्योग नीति के सम्बन्ध में कहा था और उस समय माननीय मंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया था । आज इस अवसर पर फिर मैं उसी उद्योग नीति के सम्बन्ध में यहां पर कुछ कहना चाहता हूं । हमारे इस सदन में और बहुत से पत्रों में उद्योगों के यंत्रीकरण के सम्बन्ध में बहुत सी चर्चाएं छेड़ी गयी हैं और उस में कहा गया है कि देश के सैकड़ों उद्योगों के जो यन्त्र हैं वह आज बहुत काल बीतने के कारण बेकार हो रहे हैं अपटुडेट नहीं हैं वह आज के वर्तमान काल में प्रतिस्पर्धा या होड़बाज़ी नहीं लगा सकते और हमारे लाखों मज़दूर बेकार हो रहे हैं, ऐसा कहा गया है । इस सम्बन्ध में मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यदि हमने रैशनलाइज़ेशन यानी यंत्रीकरण किया तो हमारे लाखों मज़दूरों को बेकारी का सामना करना पड़ेगा । हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि यह तो केवल एक टेम्परेरी फेज़ होगा, यह अनिश्चित काल के लिये नहीं बल्कि कुछ काल के लिये मज़दूरों को यातनाएं सहना पड़ेंगी, यह तो हमें समझाने के लिये कह सकते हैं पर हम जानते हैं कि हमें इसका सामना बहुत दिनों तक करना पड़ेगा और यातना सहनी पड़ेगी ।

इस के उपरान्त मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हम बड़े बड़े शहरों में यंत्रों को क्यों केन्द्रित करते हैं, बड़े बड़े हमारे उद्योग हैं इस में हमें आपत्ति नहीं, पर क्यों नहीं हमारे छोटे छोटे स्टेशनों में, अथवा गांवों में जहां पर कि बिजली या पावर अथवा यंत्र आदि बहुत सस्ते दामों में पहुंचाये जा सकते हैं, वहां से उन का विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं किया जा सकता । बड़े बड़े शहरों और स्टेशनों पर यंत्रों आदि का केन्द्रीकरण करने से हमारे देश के लाखों ग़रीब मज़दूरों को काफ़ी नुक़सान पहुंचता है ।

इस के उपरान्त अब मैं गृह उद्योग के सम्बन्ध में आता हूं। हमें खुशी है कि हमारी सरकार क़रीब साढ़े पांच करोड़ रुपया गृह उद्योग के लिये खर्च कर रही है पर जिस तरह से हमारे सरकारी कर्मचारी और सरकार आगे बढ़ रही है, यदि वही तरीक़ा क़ायम रहा तो हम सौ साल में भी इस देश के गृह उद्योग को नहीं बढ़ा सकते। गृह उद्योग के लिये सरकार की ओर से सबसिडी देना एक बात है और गृह उद्योग के जीवन में एक नई रोशनी लाना दूसरी बात है, अकेले सबसिडी देने से ही काम चलने वाला नहीं है। आज हम गृह उद्योग में नई रोशनी ला रहे हैं। आज हम देखते हैं कि सरकार मिल के कपड़े को टेबुल क्लाथ के लिये, डस्टर्स के लिये और परदों के लिये खरीदती है लेकिन वह खादी या हैंडलूम के कपड़े को नहीं खरीदती है।

यहां पर इसी सदन में कई बार अनुपूरक और लिखित प्रश्न पूछे गये, पर हर मर्तबा यह कहा गया कि हम वौथाई या तिहाई गृह उद्योगों का सामान खरीदते हैं। जो खुद ही नहीं खरीदते वह दूसरे लोगों में कैसे समर्थ हो सकते हैं कि हमें कर्घा उद्योग या खादी उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये।

इस के उपरान्त मैं आप से कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे गृह उद्योगों और बड़े उद्योगों में डिमार्केशन नहीं हुआ है, सीमा निर्धारण नहीं हुआ है। जब तक यह नहीं होगा तब तक काटेज इन्डस्ट्रीज़ पनप नहीं सकती हैं। आज एक होड़ है, एक कम्पिटीशन है बड़े और गृह उद्योगों में। जो यंत्र से चलने वाले उद्योग हैं वह हमारे छोटे छोटे उद्योगों के उपयोगी सामान को हड़प लेते हैं। इस से हमारे गृह उद्योग के सब व्यवसाय मारे जाते हैं। आज मुरादाबाद के बर्तन कहां गये, बनारसी साड़ी और सिल्क कहां गई। उस का स्थान रेयन और नक़ली रेशम ने ले लिया। इस कारण से हमारे गृह उद्योगों के लाखों मज़दूर बेकार हो गये हैं।

इसी प्रकार मैं चमड़े के उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। क्या हम लोग चमड़े के गृह उद्योग के बने हुए जूते नहीं पहिन सकते। क्या हम अपनी फौजों के सैनिकों और अन्य नागरिकों को मामूली झोपड़ियों में बने हुए जूतों को नहीं इस्तेमाल कर सकते? आज हम केवल बाटा, या कानपुर या फ्लैक्स इत्यादि के कारखानों के जूतों को ही पहिनते हैं जिस के कारण लाखों चमड़े का व्यापार करने वाले भाइयों का व्यवसाय मारा जाता है। इस की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आगरा में आज हजारों चमड़े का रोज़गार करने वाले हैं, उन की कोआपरेटिव सोसायटीज बनाने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया। अभी हमारी श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा था कि जो हमारे उद्योगशील व्यक्ति हैं, यदि वे बड़े बड़े यंत्रों का इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो सरकार का उन को रिलेक्सेशन या सहायता देनी चाहिये। हमारे हजारों लाखों चमड़े के व्यवसाय वालों में पूंजी और बुद्धि नहीं कि वे कोआपरेटिव सोसायटी बनायें। उन्हें पका पकाया चमड़ा बहुत महंगे दामों पर मिलता है और आज उन का धन्धा छिनता जा रहा है। चमड़ा उद्योग जो है वह गृह उद्योग के विचार से बहुत बड़ा उद्योग है, लेकिन सरकार उस की तरफ कोई ध्यान नहीं देती।

इसी तरह से हाथ के बनाये गये काग़ज़ों की बात बताई गई। मैं अभी अखिल भारतीय खादी तथा गृह उद्योग प्रदर्शनी देखने गया था। यहां के हर एक सदस्य को यह जान कर खुशी होगी कि दिल्ली ऐसे रौनकदार शहर में, दूर नहीं, इसी प्रदर्शनी में कितनी कितनी लाजवाब चीज़ें लाई गई हैं और कितनी सस्ती कीमत पर वह चीज़ें बिकती हैं। हमारे टी० टी० कृष्णमाचारी जी भी वहां गये थे और उनको इस का अनुभव होगा, लेकिन

[श्री जांगड़े]

शायद वह खरीदेंगे नहीं क्योंकि वह इस बात को कहना एक बात है करना दूसरी बात है। वे यंत्र से बनी हुई चीजें हैं, उन्हें ही खरीदते हैं। उसी को हम खरीदते हैं, यह सब से बड़ी दिक्कत है। आज जो मिलें हैं वह ७०, ८० काउन्ट तक का सूत तैयार कर सकती हैं, लेकिन हमें इस प्रदर्शनी में यह देखने को मिला कि हमारे बुनने कातने वाले जो हैं वह १९० और २०० काउन्ट तक का सूत तैयार करते हैं। आज उन को प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं है। आज हम सिर्फ ३ आना रिबेट देते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम १०० या उससे ऊपर काउन्ट वाले सूत के तैयार करने वाले जो हैं उन को ८ आ० तक रिबेट दें, तभी उस को प्रोत्साहन मिल सकता है और कपड़े में प्रवीणता और नवीनता आ सकती है।

आज इस देश में व्यापारी कहते हैं कि प्रोटेक्शन दिया जाय। लेकिन उन्हों ने बेईमानियों और नकली चीजें तैयार करने की नीचता को नहीं छोड़ा। आज आप बाज़ार में जाइये, साबुन देखिये, कपड़ा देखिये, या कोई भी वस्तु देखिये, उस में बेईमानी और नकलीपन भरा हुआ है। आज हमारे देश को लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी असली चीज़ नहीं मिलती। मैं पूछता हूं कि इसके लिये हमारे चैम्बर्स आफ कामर्स और ऐसोशिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स के तुलसीदास किलाचन्द जी और बंसल जी ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों ने क्या मदद दी है ? क्या सलाह दी है ?

इस के बाद आप देहातों में जो धन्धे चलते हैं उन को देखिये। उन पर ही गांव के लोग आश्रित रहते हैं। अब हलर मशीन आ गई है और धान कूटने की मशीनें देहात देहात में ८ या १०, १० मील पर स्थापित की जा रही हैं, इसी तरह बीड़ी बनाने की मशीन तैयार की जा रही है और वह देहातों में पहुंचाई जा रही है। इस तरह से जो हमारे यंत्र और मशीनें हैं वह देहात के छोटे छोटे उद्योगों को मारने के लिये जा रही हैं, इसके लिये सरकार ने क्या तय किया है ? आज देहातों में हलर या बीड़ी की मशीनें लागई जा रही हैं जिस से हमारे देहाती भाइयों को बहुत नुकसान पहुंचेगा, इस के लिये कोई उपाय नहीं किया गया है।

इस के उपरान्त मैं सोप के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जितना कपड़ा धोने का साबुन है सिवा लिवर ब्रदर्स के या सिवा टाटा प्रोडक्ट्स के या स्वास्तिक मिल के और कोई खास तौर पर नहीं बनाता है। जो यंत्र का उपयोग करने वाले व्यवसाय हैं वह कपड़ा धोने का साबुन अधिक नहीं बनाते हैं। वह अब भी गृह उद्योग के जरिये बनाया जाता है। मैं पूछता हूं कि इस गृह उद्योग को आप क्यों प्रोटेक्शन नहीं देते ? जो कपड़ा धोने का साबुन है, उसे बड़े कारखानों में नहीं बनाने दिया जाय।

खादी का जो कपड़ा है, उस के लिये यह करना चाहिये कि जितने डस्टर, टावेल और दूसरी इस प्रकार की चीजें हैं, उन को खादी के उद्योग को ही तैयार करने के लिये कहा जाय, टेक्सटाइल मिलवालों के द्वारा उस का तैयार करना बन्द कर दिया जाय। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अभी खादी एग्जिबिशन को खोलते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस देश में लोग अब भी रैशनलाइजेशन और यंत्रीकरण करने की बात करते हैं। हम अमरीका और रूस की नकल करते हैं, पर वर्तमान समय में भारत का अधिकांश याने आधे से अधिक हिस्सा गृह उद्योग पर ही निर्भर रह सकता है। पर हमारे भाई मिल के चकाचौंध में पड़ कर समझते हमारे गृह उद्योगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया है कि वाणिज्य तथा उद्योग का अभिनवीकरण किया जायगा । किन्तु मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या अभिनवीकरण से उन का अभिप्राय यह है कि वह ऐसी चीज़ों का उत्पादन करेंगे जिनका उचित मूल्य होगा या वह देश में व्याप्त बेरोज़गारी का भी ध्यान रखेंगे ? आयव्ययक पर चर्चा करते हुए मैं ने इस प्रश्न के बारे में विस्तारपूर्वक विचार प्रकट किये थे और यह कहा था कि सरकार की वर्तमान नीति से बेरोज़गारी का प्रश्न हल नहीं हो सकता । सरकार को वाणिज्य तथा उद्योग में अभिनवीकरण बेरोज़गारी के प्रश्न को ध्यान में रख कर ही करना चाहिये । मेरी मुख्य बात यह थी कि बड़े उद्योगों के लिये तो छोटे पैमाने तथा ग्राम उद्योगों की जगह काम करना केवल तब ही ठीक है जब कि वे उन लोगों को नौकरी दे सकें जो कि बेरोज़गार हो गये हैं या हो जायेंगे । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मुझे बतायेंगे कि वह इस बेरोज़गारी के प्रश्न का ध्यान रखेंगे या नहीं ।

औद्योगिक उत्पादन में तथा आयात और निर्यात में जो प्रगति हुई है उस के लिये मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को बधाई देता हूं । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिये जो कार्य आवश्यक हो उसे करने में वह विलम्ब न करे । मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने प्रशासन, आयात या निर्यात के लिये परमिट देने, शुल्क लगाने या उसे हटाने आदि जैसे मामलों में देरी नहीं की । जिन लोगों को परमिट नहीं मिले उन्हें प्रतीक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी और वे कुछ और कामों में लग सके । इस प्रकार देरी का प्रश्न हल कर लिया गया यद्यपि इस विषय में अभी और कुछ भी किया जाना है ।

निर्यात तथा आयात व्यापार तीस से चालीस प्रतिशत तक विदेशियों के हाथ में है । माननीय मंत्री ने बताया कि इस मामले में कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि विनिमय बैंक अधिकांशतः विदेशियों के ही हैं । इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई है जोकि प्रतिष्ठापित व्यापारियों के सम्बन्ध में नीति है । पहिले नये व्यापारियों को इसलिये अनुमति नहीं दी जाती थी कि वे चोर बाज़ारी करते थे । परन्तु उन्होंने अब कुछ हद तक नये व्यापारियों को भी अनुमति दे दी है । किन्तु अभिलेखों से मालूम होता है कि प्रतिष्ठापित व्यापारी भी चोर बाज़ारी करते हैं ।

सुपारी पर लगाये गये शुल्क के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि यह इसलिये लगाया गया है क्योंकि अब भी लाइसेंस तथा परमिट पचास से शत प्रतिशत तक लाभ प्राप्त कर के बेचे जाते हैं । यह संतोषप्रद कारण नहीं है । माननीय मंत्री को भ्रष्टाचार तथा चोर बाज़ारी को समूल नष्ट कर देना चाहिये और केवल इस बात से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिये कि व्यापारी पचास से सौ प्रतिशत तक लाभ उठा रहे हैं इसलिये सुपारी पर शुल्क लगा दिया जाय । और इसीलिये यह शुल्क लगाना उचित है ।

मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि भारत में विदेशी पूंजी नहीं लगाई जानी चाहिये उद्योग में तो दूसरों की पूंजी से सहायता मिलती है । मैं इस बात को भी नहीं मानता कि भारत में विदेशी उद्योगपतियों को उद्योग नहीं चलाने देना चाहिये । किन्तु एक बात का मुझे हाल ही में पता लगा है । विदेशी पूंजी विनियोजक अपने लिये ही पूरा लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिये । हमारे अधिकारियों की यह धारणा बन गई है कि विदेशी लोग अच्छी प्रकार से और कुशलता पूर्वक कार्य कर सकते हैं । किन्तु पटसन उद्योग से यह बात स्पष्ट हो गई

[श्री झुनझुनवाला]

है कि जो पटसन मिलें अंग्रेजों के हाथ में थीं यदि वे भारतीयों के हाथ में होतीं तो ३३, ३७,३५,०४१ रुपये का अतिरिक्त लाभ होता और इस प्रकार सरकार को भी १५ या १६ करोड़ रुपया आय-कर के रूप में नहीं मिल सका। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि भारतीय उद्योगों को सहायता देने के लिये आने वाले ये विदेशी कुशलता-पूर्वक कार्य करें जिस से देश पूरा लाभ उठा सके। जब भारतीय कम लागत पर उत्पादन कर सकते हैं तो उन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। १९३७ में एक भारतीय फर्म ने एलम्यूनियम फैक्टरी चलाई थी किन्तु पूंजी के अभाव के कारण यह बन्द कर दी गई। एक और विदेशी फर्म ने ऐसी फैक्टरी चलाई। यद्यपि भारतीय फैक्टरी की उत्पादन लागत इस विदेशी फर्म से कम थी किन्तु यह विदेशी फर्म इस स्थिति से लाभ उठा लेगी। सरकार को इस पर तथा इस प्रकार के अन्य उद्योगों के जो भारतीयों के हाथ में है, मामलों पर विचार करना चाहिये और यदि उन्हें पूंजी चाहिये तो सरकार को उन की सहायता करनी चाहिये जिस से ये विदेशियों की तुलना में अच्छी प्रकार से काम कर सकें। हम गैरसरकारी उद्योग का इसलिये समर्थन करते हैं क्योंकि वहां व्यक्तिगत लाभ के लिये प्रोत्साहन मिलता है। यदि विदेशियों से हमें आर्थिक लाभ नहीं होता तो उन्हें प्रोत्साहन देने में कोई लाभ नहीं।

श्री मेघनाद साहा : श्री वी० बी० गांधी की इस बात के कारण जो भ्रान्ति पैदा हो गई है कि सरकार की अति उदार नीति के कारण हमें बहुत अधिक विदेशी पूंजी मिल रही है, मैं उसे दूर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष १३ करोड़ रुपये लगाये गये। किन्तु सदन को यह मालूम होना चाहिये कि विदेशी पूंजी इस देश से बाहर भेजी जा रही है। यहां यह भी कहा जाता है कि भारतीय उद्योगपति पूंजी विनियोजन करने में संकोच करते हैं। विदेशी फर्मों के मालिक अपने फर्मों को बेच कर अपने साथ पूंजी ले कर अपने देश जा रहे हैं। इस प्रकार गत वर्ष इस देश से १५ करोड़ की विदेशी पूंजी बाहर गई। अतः विदेशी पूंजी प्राप्त करने की अपेक्षा हम इस देश में विनियोजित विदेशी पूंजी को बाहर भेज रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता कि हम विदेशी पूंजी न लें। किन्तु हमें अपने देश के विकास के लिये अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा :

मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा पैदा की गई इस भ्रान्ति को दूर करना चाहता हूं कि हमारे उत्पादन में १३३ प्रतिशत वृद्धि हुई है। किन्तु आंकड़ों के विश्लेषण से मालूम होता है कि उत्पादन में दामों की तुलना में मात्रा में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। देश में इस्पात के दामों में तो वृद्धि हुई है किन्तु उस की उत्पादित मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है अपितु इस का उत्पादन कम हो गया है। हमारे देश का कुल औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के ४,१०० करोड़ रुपये की तुलना में १,५०० करोड़ रुपये हैं। दूसरे देशों की बराबरी करने के लिये हमें उत्पादन में दस से पन्द्रह गुना वृद्धि बहुत थोड़े समय में ही करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि उद्योगों के अप्रयुक्त सामर्थ्य के बारे में हमें मूलगांवकर समिति की रिपोर्ट दी जाये। कई फैक्टरियों में अधिष्ठापित उत्पादन-सामर्थ्य तो बहुत है किन्तु उन का वास्तविक उत्पादन तो बहुत ही कम रहा है। मोटर बनाने की फैक्टरियों में, जहां ८१००० मोटरें बनाई जा सकती हैं उन में केवल १५००० ही मोटरें तय्यार की गई हैं। मैं चाहता हूं कि हमें अधिष्ठापित उत्पादन सामर्थ्य तथा वास्तविक उत्पादन के

आंकड़ों के साथ साथ आयात की मात्रा के आंकड़े भी दिये जायें जिस से हम तथ्यों का पता लगा सकें ।

हमारे देश में उत्पादन कार्य उत्पादन मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के बीच विभक्त है । मैं चाहता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को वे उद्योग उत्पादन मंत्रालय के अधीन कर देने चाहियें जिन के विकास की अत्यधिक आवश्यकता है । पूंजीगत माल उद्योग को, जिस पर औद्योगीकरण मुख्य रूप से निर्भर करता है, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पृथक् एक संगठन अपने कार्यभार में ले ले ।

हमारी कुल अपेक्षा केवल १,५०,००० टन है । यह एक मूल वस्तु उद्योग है क्योंकि बहुत सी अन्य वस्तुओं का उत्पादन सोडे पर निर्भर है । इसके कम उत्पादन से हमारे बहुत से उपभोक्ता उद्योगों में रुकावट पड़ रही है । शीशा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो सोडे के इतने अधिक मूल्य के कारण ही उन्नति नहीं कर रहा है । हमारे देश में सोडे की केवल दो फैक्टरियां हैं और वे ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां वे ठीक प्रकार से यह काम नहीं कर सकतीं । हमारी सरकार इन निजी फर्मों को इस कार्य के लिए अनुचित संरक्षण दे रही है । जिस वस्तु के लिए वे अंग्रेज उपभोक्ता से इंगलैण्ड में १३० रुपये लेते हैं उसी के लिए भारतीय उपभोक्ता से भारत में २५० रुपये लेते हैं । प्रशुल्क आयोग ने १९४९ में यह सुझाव दिया था कि टूटीकोरिन, सिन्दरी आदि स्थानों में चार अन्य सोडा फैक्टरियां स्थापित की जाएं, किन्तु इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है । उधर यह दो भारतीय फर्में और इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज़ हमें लूटे जा रही हैं ।

हमारी औद्योगिक नीति बहुत अनिश्चित प्रकार की है और हम अभी तक इस बात को नहीं समझ पाये हैं कि इस देश के लिए मूल वस्तु उद्योग का क्या महत्व है । कितने ही अन्य उद्योग इसी पर निर्भर हैं । भेषज उद्योग को ही लीजिए । हमें १५ या १६ करोड़ के भेषजों का आयात करना पड़ता है । बहुत सी भारतीय फर्मों ने विदेशी फर्मों के साथ इस प्रकार का गठबन्धन कर लिया है कि वे औषधियों का आयात कर के उन्हें यहां बोतलों में बन्द कर लेते हैं और कह देते हैं कि यह भारत की बनी हुई है । इस विधि से वे उपभोक्ताओं से तीन या चार गुने दाम वसूल कर लेते हैं । मूल रसायनों के उत्पादन का काम भी सरकार को अपने ही हाथ में लेना चाहिए । इस के लिये इतनी अधिक पूंजी चाहिए कि कोई भारतीय फर्म स्वयं इस काम को संभाल नहीं सकती । यही दशा कोलतार, गंधक तथा भारी मशीनरी सम्बन्धी उद्योगों का है । हमारे अधिकांश उपभोक्ता उद्योगों के लिए इन मूल उद्योगों का होना अत्यावश्यक है ।

इस के पश्चात सभा बुधवार, १४ अप्रैल १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थागित हुई ।

GIPD—HS—8,! PSD—2,954—000